सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
राजस्व विभाग

कार्यालय
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मैनुअल संख्या–5 खण्ड–4 एवं 09 व 10)

(अद्ययावधिक दिनांक 30.06.2012 तक)

कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढवाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1) / 2011–2(4) / 2008
देहरादूनः दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (26) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के राजस्व ग्राम हिटाणू के उपग्राम उदाल्का एवं उपग्राम मालसी जिनकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1734(1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–796 / मु0रा0आ0 / रा0ग्राम / 2007 दिनांक 25 जनवरी, 2007 के संदर्भ में इस अनुरोध

2–

3– इस राजस्व पुलिस संवर्ग में कार्यरत कार्मिको एवं संवर्ग में नयी/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले कार्मिको की क्षमता वृद्धि के लिए पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल एवं उत्तराखण्ड विधि विज्ञान केन्द्र, देहरादून को सम्मलित कर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जायेगा यह प्रशिक्षण मॉड्यूल मुख्य राजस्व आयुक्त/मुख्य संचालक राजस्व पुलिस द्वारा इन सभी प्रशिक्षण संस्थानो से परामर्श से तैयार किया जायेगा।

4– राजस्व पुलिस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिको के लिए न्यूनतम 9 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, इसमें 6 माह का प्रशिक्षण पटवारी केन्द्र, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल, उत्तराखण्ड पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली तथा 3 माह का फील्ड प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिको को प्रथम वेतन वृद्धि तभी अनुमन्य की जायेगी जब उनके द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जायेगा।

5– वर्तमान में कार्यरत राजस्व पुलिस संवर्ग के कार्मिको द्वारा पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है अतः उनके लिए उपरोक्त अन्य संस्थानो का प्रशिक्षण मॉड्यूल मुख्य राजस्व आयुक्त/मुख्य संचालक राजस्व पुलिस द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से तैयार किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि, इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए सीटो की उपलब्धता एवं वर्तमान में कार्यरत पटवारियो की बड़ी संख्या के दृष्टिगत उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान इस शर्त के साथ अनुमन्य करा दिया जाय कि वे एक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। यदि इन्हें तत्काल प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव हो सके तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिको को प्रशिक्षण के उपरांत नये वेतनमान अनुमन्य कराये जायेंगे।

6– उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वर्तमान पदधारको का वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा, यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराते हुए उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन आगामी वेतनवृद्धि में समायोजित कर दिया जायेगा। उक्तवत वेतनमान में वेतन के निर्धारण के फलस्वरूप यदि पदधारक का वेतन ग्रेड पे घटाकर संशोधित पे बैंड के अन्तर्गत आ रहा है तो उस पर नये पद के ग्रेड पे को जोड़ते हुए निर्धारण किया जायेगा और यदि वेतन पे बैंड की सीमा के अन्दर नही आ रहा है तो पुनरीक्षित वेतनबैंड के न्यूनतम पर ग्रेड पे जोड़ते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

7– उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात् वह इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती/वेतनवृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है विकल्प देने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन होगी और इस अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश निर्गमन की तिथि से विकल्प दिया गया है।

8– राजस्व पुलिस के पदधारकों के पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप

3–

के अधीन कि उनको बिना पूर्व नोटिस के पहले ही न समाप्त कर दिया जाय, बनाये रखने की भी श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i. सीजनल संग्रह कार्मिकों हेतु उक्त सृजित पदों को प्रथम बार शत प्रतिशत सीजनल संग्रह कार्मिकों द्वारा ही भरा जायेगा।
ii. इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों की सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर, रिक्त पदों को तभी भरा जाएगा जबकि तत्समय लागू वसूली के मानक के अनुरूप जनपद में पदों की आवश्यकता हों अन्यथा तत्समय लागू मानक से अधिक पद स्वतः निरस्त समझे जाऐंगे। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किसी भी दशा में नई भर्तियां नहीं की जायेगी ।
iii. जनपदवार पदों का विवरण एवं आरक्षण की पूर्ण स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जायेगा एवं यथाआवश्यकता इस सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे ।
iv. विनियमितीकरण की कार्यवाही, विनियमितीकरण नियमावली, 2011 के अनुरूप की जायेगी ।
v. इन सृजित पदों पर विभिन्न कारणों से रिक्त होने के उपरान्त कोई भी नई भर्ती करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी ।
vi. इन पदों पर विनियमितीकरण के लिये उमा देवी मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों का भी संज्ञान लिया जायेगा ।

4. उक्त पदों पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्यय अनुदान सं0–6 लेखा शीर्षक 2029–भू राजस्व–101 संग्रहण प्रभार –03, भू राजस्व (माल गुजारी) तकाबी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–177 NP/XXVII(5)/2011–12 दिनांक 16 दिसम्बर,2011 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(पी0 सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0–2280/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HHUD LETTERS

संख्या–3090 / XVIII(II) / 11–7(23) / 2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

विषय–प्रदेश में सीजनल संग्रह कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण का लाभ दिए के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सीजनल संग्रह कार्मिकों के पक्ष में राज्य गठन के पूर्व से ही मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में न केवल सीजनल संग्रह कार्मिक अनवरत कार्य कर रहे हैं बल्कि वह कई जिलों में समान कार्य समान वेतन के आधार पर लाभ भी प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर इन कार्मिकों के विनियमितीकरण पर भी विचार किए जाने के आदेश पारित किए गए है। संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 में 50% पद सीधी भर्ती से 35% पद सीजनल संग्रह अमीनों से भर्ती द्वारा एवं 15% पद स्थायी संग्रह अनुसेवकों से नियुक्त किये जाने व्यवस्था हैं।

2. इस संबंध में मुख्य राजस्व आयुक्त/जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न जनपदों में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0	जनपद का नाम	सृजित पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
		सं0 अमीन	सं0 अनुसेवक	[illegible]	सं0 अमीन	सं0 अनुसेवक	[illegible]
1	हरिद्वार	56	56	0	23	15	–
2	देहरादून	60	60	6	8	4	–
3	टिहरी	31	31	5	–	–	–
4	चमोली	11	11	2	–	–	–
5	उत्तरकाशी	26	26	4	–	–	–
6	रूद्रप्रयाग	7	7	1	–	–	–
7	पौड़ी	52	52	7	–	–	–
8	बागेश्वर	8	8	1	–	–	–
9	उधमसिंहनगर	44	44	0	14	15	–
10	चम्पावत	7	7	1	–	–	–
11	पिथौरागढ़	11	11	4	–	–	–
12	नैनीताल	30	30	3	3	10	–
13	अल्मोड़ा	20	20	3	–	–	–
कुल योग		363	363	37	48	44	–

..............2

HINDI LETTERS

कार्यालय राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड,देहरादून

विभागीय मैनुअल

मैनुअल संख्या–5 खण्ड–4 (अद्यावधिक दिनांक 30.6.2012 तक)

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	शासनादेश /अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	457/ XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29.03.2010	मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून के संरचनात्मक पुनर्गठन के संबंध में	1–4
2	1052/ XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 03.08.2010	लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाना	5–6
3	1303/ XVIII(1)10-03(13)/2010 दिनांक 8.12.2010	राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन	7–10
4	1353/ XXXI(13) G/2011 दिनांक 31.10.2011	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के क्रियान्वयन के संबंध में ।	11–28
5	3131/ XVIII(2)/2011 दिनांक 23.11.2011	राजस्व वादों के निस्तारण में गति लाने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों /सक्षम प्राधिकारियों के लिए दिशानिर्देश गठित किये जाने के संबंध में।	29–31
6	2963/ XVIII(2)11-13(19)/2009 दिनांक 24.11.2011	सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।	32–34
7	286/ XVII(7)/09(II)/2011 दिनांक 30.12.2011	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण ।	35–36
8	1030/ XVIII(1)/2011-2(7)/2011दिनांक 22.12.2011	राजस्व ग्राम हवीला तल्ला के गठन से संबंधित अधिसूचना	37–39
9	1735/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम कागड़ा एवं लाटा के गठन से संबंधित अधिसूचना	40–42
10	1736/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम लैणी के गठन से संबंधित अधिसूचना	43–45
11	1737/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम नाड़ा–चौलियाणा के गठन से संबंधित अधिसूचना	46–48
12	1738/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम बमणगांव के गठन से संबंधित अधिसूचना	49–51
13	1739/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम उदाल्का व मालसी के गठन से संबंधित अधिसूचना	52–54
14	1740/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम धौतरी के गठन से संबंधित अधिसूचना	55–57

15	1741/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम ग्वाड़ टोला के गठन से संबंधित अधिसूचना	58–60
16	1742/ XVIII(1)/2011-2(4)/2008 दिनांक 21.12.2011	राजस्व ग्राम गवाणी के गठन से संबंधित अधिसूचना	61–63
17	471/ XVIII(1)/2011-3/2008 दिनांक 02.04.2011	राजस्व पुलिस संवर्ग के पुनर्गठन/वेतनमान उच्चीकरण के संबंध में	64–66
18	1629/ XVIII(1)/2011-3(12)/2008 दिनांक 14.11.2011	राजस्व पुलिस की सहायता प्रत्येक ग्राम सभा में नियुक्त ग्राम प्रहरी के मानदेय के संबंध में	67–68
19	3058/ XVIII(II)/11-7(23)/2008 दिनांक 19.12.2011	प्रदेश में सीजनल संग्रह कार्मिकों को समान कार्य/वेतन के आधार पर लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में	69–70
20	3091/18(2)/2011-07(86) /2008 टी०सी० दिनांक 16.12.2011	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2006 में सृजित संग्रह अमीन,संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के पदों को संगत सेवा नियमावली एवं स्थायीकरण सेवा नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुरूप स्थायी सेवा संवर्ग घोषित किये जाने एवं उक्त सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 09.11.2000 से सेवा लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में	71–72
21	3144/18(2)/2011-07(23) /2008 टी०सी० दिनांक 24.12.2011	राजस्व विभाग के अन्तर्गत संग्रह अमीनों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में भेजे गये अधियाचन को निरस्त करते हुए इसे चयन प्रक्रिया से पृथक किये जाने के संबंध में	73
22	2280/18(2)/2011-07(86) /2008 दिनांक 16.12.2011	राज्य के मैदानी जनपदों/क्षेत्रों में सीजनल संग्रह अमीन,सीजनल संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वाकी नवीसों हेतु संग्रह अमीन के 104 पद एवं संग्रह अनुसेवक के 87 एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के 09 पद सृजित किये जाने के संबंध में	74–75
23	3090/18(2)/11-07(23) /2008 दिनांक 19.12.2011	प्रदेश में सीजनल संग्रह कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण का लाभ दिये जाने के संबंध में	76–77
24	3079/18(2)/2011-07(86) /2008 टी०सी० दिनांक 16.12.2011	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2006 में सृजित संग्रह अमीन,संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वाकी नवीस के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को समायोजित करते हुए अवशेष संग्रह अमीन के 76 पद एवं संग्रह अनुसेवक के 59 पद सृजित किये जाने के संबंध में	78–80
25	294/ XVIII(II)/2011-14(3)/2010 दिनांक 30.05.2011	उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था(संशोधन) अधिनियम,2011 के अनुपालन के संबंध में एवं शासन की अधिसूचना संख्या–179/ XXXVI(3) /2011/40(1) /2011 दिनांक 29.04.2011	81–85
26	495/ XVIII(1)/2011-1(27)/2010 टी०सी० दिनांक 13.04.2011	वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में	86–90
27	592/ XVIII(1)/2011-1(27)/2010 टी०सी० दिनांक 11.05.2011	वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में	91–95
28	711/ XVIII(1)/2011-1(27)/2010 दिनांक 22.06.2011	वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में	96–101
29	884/ XVIII(1)/2011-1(27)/2010 दिनांक 27.07.2011	वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में	102–106

7.	मुख्य राजस्व आयुक्त के स्टाफ आफिसर	9300–34800 ग्रेड पे–4800	01	–	01	–
8.	नायब तहसीलदार	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	–	01	–
9.	अनुभाग अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4800	01	05	06	• अधीक्षक के स्थान पर नया पदनाम।
10.	समीक्षा अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4200	05	10	15	• प्रवर वर्ग सहायक के स्थान पर नया पदनाम।
11.	सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200 ग्रेड पे–2800	05	07	12	• अवर वर्ग सहायक के स्थान पर नया पदनाम।
12.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2400	–	–	–	• 05 पद आउटसोर्सिंग (OUT-SOURCING) से भरे जायेंगे।
13.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–1900	01	–	01	• सृजित पद के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर 03 पद (OUT-SOURCING) से भरे जायेंगे।
14.	वित्त नियंत्रक	संवर्गानुसार	–	01	01	• लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
15.	वित्त अधिकारी (ऑडिट)	15600–39100 ग्रेड पे–5400	01	–	01	• पूर्व पदनाम वित्त अधिकारी के स्थान पर पदनाम। • लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
16.	लेखाकार सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	9300–34800 ग्रेड पे–4200	02	05	07	–
17.	सहायक लेखाकार सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2800	01	03	04	–
18.	कैशियर सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2400	01	–01	–	• अधिसंख्यक पद
19.	निजी सचिव ग्रेड–1	15600–39100 ग्रेड पे–6600	–	01	01	–
20.	निजी सचिव ग्रेड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4800	–	01	01	–
21.	अपर निजी सचिव	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	–	01	• वैयक्तिक सहायक के स्थान पर नया पदनाम।
22.	आशुलिपिक ग्रेड–2 सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2400	02	04	06	–

-3

संख्या: 1505 /XVIII-(1)/10-03(13)/2010

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 08 दिसम्बर, 2010

विषय -राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6382/मु०रा०आ०/2010, दिनांक 23.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने विषयक कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1165/XXX(2)/2010, दिनांक 27.09.2010 में दी गयी व्यवस्था/शर्तों के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित पदों के सापेक्ष, श्री राज्यपाल निम्न तालिकानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों का पुर्नगठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) मण्डल कार्यालय

क्र० सं०	मण्डल का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि० (9300-34800) ग्रेड पे - 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300-34800) ग्रेड पे - 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गढ़वाल मण्डल कार्यालय पौढ़ी	09	03	03	02	01	-
2.	कुमाऊं मण्डल, कार्यालय नैनीताल	13	04	04	02	02	01

(ख) जनपद कार्यालय

क्र० सं०	जनपद का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200-20200) ग्रेड पे - 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि० (9300-34800) ग्रेड पे - 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300-34800) ग्रेड पे - 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पौढ़ी गढ़वाल	110	35	33	20	19	03
2.	उत्तरकाशी	57	18	17	10	12	-
3	टिहरी	92	29	28	17	18	-
4	हरिद्वार	76	24	23	14	14	01
5	देहरादून	104	33	31	19	18	03
6	रूद्रप्रयाग	36	12	11	06	07	-
7	चमोली	78	25	23	14	16	-
8	अल्मोड़ा	126	40	38	23	23	02
9	नैनीताल	111	36	33	20	20	02
10	पिथौरागढ़	84	27	25	15	15	02

-2-

शासनादेश संख्या–1303/ XVIII(1)/2010-3(13)/2010 दिनांक 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

क्रमसं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों की संख्या	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नये स्वीकृत पद
1.	पौड़ी	पौड़ी	11	01
		लैन्सडौन	11	01
		कोटद्वार	10	01
2.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	10	01
		डीडीहाट	10	01
3.	उधमसिंहनगर	काशीपुर	14	01
		किच्छा	11	01
		खटीमा	10	01
4.	चम्पावत	लोहाघाट	12	01
5.	हरिद्वार	रूड़की	10	01
6.	बागेश्वर	बागेश्वर	10	01
		कपकोट	10	01
7.	नैनीताल	हल्द्वानी	10	01
		नैनीताल	10	01
8.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	16	01
		रानीखेत	17	01
9.	देहरादून	देहरादून	13	01
		विकासनगर	10	01
		ऋषिकेश	10	01
		कुल योग–		19

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

GO (2).doc

संख्या–1353/xxxi(13)G/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।

3–समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

4–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

समान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर 2011

विषय:– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संख्या 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011"** से सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति एतद्द्वार संलग्न कर संप्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सेवा क अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र सख्या 1337/XXXI(13)/G/2011 दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत चिन्हि **" सेवाओं "** को विभागीय **" पदाभिहित अधिकारी "** द्वारा नियत समय–सीमा के अन्तर्गत सेव के रूप में प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति व आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन का नियत समय सीमा व भीतर निस्तारण नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा–9 में दण्ड अथवा शास्ति का प्राविधा किया गया है।

2. अत: उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की महत्ता को दृष्टिगत रख अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है :–

(1). उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 11 के अन्तर्गत सम्बंधि विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अधिसूचित सेवाओं तद समय–सीमा को विभाग की वेबसाईट पर अवश्य प्रदर्शित किया जाय।

(2) उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों के नोटिस बो पर पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम, आदि की स्पष्ट सूचना का संलग्न प्ररूप–1 के अनुसार प्रदर्शित किया जाय।

(3) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वन हेतु प्रत्येक सेवा प्रदाता पदाभिहित अधिकारी द्वा सेवा प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानका कार्यालय के सूचना पटो पर अवश्य प्रदर्शित की जाय।

(4). अधिनियम की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि सेवा हेतु आवेदन की प्रा समय ही सावधानी पूर्वक यह देख लिया जाय कि आवेदन यथा आवश्यक दस (चैक लिस्ट) के अनुरूप पूर्ण हों। सेवा हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन की प्राप्ति स प्ररूप-2 के अनुरूप दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्राप्ति प्रारूप की प्रति आवेदक को दी जाय।

(5). अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित आवेदन पत्रों एवं उन कृत कार्यवाही के विवरण का रख-रखाव महत्वपूर्ण है। पदाभिहित अधिकारी, प्र अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर संलग्न प्ररूप-3, एवं 5 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंजिकायें तैयार की जायेंगी तथा नियमित रूप इनमें सूचनायें अद्यावधिक की जायेंगी।

3. यह भी आवश्यक है कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा मण्डलों/जनपदों में इ अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके समयान्तर्गत निस्तारण की समीक्षा अपने मासि विभागीय समीक्षा बैठक में अवश्य कर ली जाय, और इसकी सूचना शासन को भी उपल कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- निम्नवत् (छः संलग्नक)।

1- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
2- चिन्हित सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी, समय-सीमा, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
3- सूचना पट का प्ररूप-1
4 आवेदन पत्र की प्राप्ति का प्ररूप-2
5- पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-3
6- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-4
7- द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-5.

भवदीय,
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या- /xxxi(13)G/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनु के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या: /389/ xxxi(13)G/ 2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 0/ नवम्बर, 2011

विषय:– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू हो चुका है। उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को नियत समय–सीमा के अन्तर्गत सेवाऐं उपलब्ध कराये जाने, सेवा का चिन्हीकरण, सेवा उपलब्ध कराने वाले पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान की जाने की अवधि, नामित प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1337/XXXi(13)G/ 2011, दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 का (हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1363/XXXi(13)G/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 भी निर्गत किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिनियम, अधिसूचना तथा तत्सम्बन्धी शासन की ओर से निर्गत शासनादेश की प्रति एन0आई0सी0 की वेब साइट uk.gov.in में भी उपलब्ध है।

2– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011, अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 आदि को सम्बन्धित वेब साइट से डाउनलोड कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में अवस्थित विभागों को उसकी प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। अधिनियम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में कार्यरत विभागों के साथ एक बैठक भी आहूत कर ली जाय।

3– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 में निर्धारित प्ररूप–1 के अनुसार सूचना, कार्यालय सूचना पट्ट पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ लगवाने, प्ररूप–2 के अनुसार आवेदक के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने तथा प्ररूप–3, 4 एवं 5 के अनुसार पंजिका तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– उपरोक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नवम्बर, 2011 के प्रथम सप्ताह में 'विडियो कान्फ्रेंस' के माध्यम से बैठक प्रस्तावित है। अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे नवम्बर, 2011 के द्वितीय सप्ताह में शासन स्तर से नामित अधिकारी द्वारा मौके पर सत्यापन किया जायेगा।

5– मण्डलायुक्तों द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक की संकलित सूचना अनुमोदित

Letter2.doc

कर निम्नांकित निर्धारित प्ररूप पर उपलब्ध कराते हुए, माह दिसम्बर, 2011 से प्रतिमाह संकलित सूचना अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मण्डलायुक्त के माध्यम् से शासन को संकलित सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्ररूप

मण्डल का नाम:

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदाभिहित अधिकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	समय–सीमा के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनिस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या
7	8	9	10	11

6– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

Letter&2-doc

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–1337/XXXI(13)G/2011
देहरादून: दिनांक 28 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20 वर्ष, 2011) की धारा– 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एतद्द्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र. सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	बी०पी०एल० राशन कार्ड का नवीनीकरण करना	1–जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	1– जिलापूर्ति अधिकारी	1– जिला अधिकारी
		2–जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	2– जिलापूर्ति अधिकारी	2– जिला अधिकारी
		3– ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3– खण्ड विकास अधिकारी	3– जिला अधिकारी
2	नवीन ए०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना	1– जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	1– जिलापूर्ति अधिकारी	1– जिला अधिकारी
		2–जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	2–जिलापूर्ति अधिकारी	2– जिला अधिकारी
		3– ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3–खण्ड विकास अधिकारी	3– अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी

2–राजस्व विभाग

क्र. सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रमाण पत्र 1. जाति प्रमाण पत्र	तहसीलदार	15 दिन	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी

	2. ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	क्षेत्रीय स्तर पर कम्प्यूटर उपलब्ध होने की स्थिति में आवेदन की तिथि को ही, अन्यथा 15 दिन के अन्दर	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
6.	भू-मानचित्र की प्रति दिया जाना	जिला अधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	आवेदन की तिथि से 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
7.	खसरे की प्रति दिया जाना	सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	आवेदन की तिथि को	नायब तहसीलदार/ तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
8	किसान बही	तहसीलदार	07 दिन	उपजिलाधिकारी	जिला अधिकारी

3–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र. सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (क) चिकित्सकीय अस्वस्थता प्रमाण-पत्र (Medical illness certificate)	(क) प्रभारी चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी
	(ख) स्वस्थता प्रमाण-पत्र (Physical Fitnes) (जिला स्तर)	(ख) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी / महानिदेशक
	(ग) स्टेट मेडिकल बोर्ड (पालिका) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य/अस्वस्थता प्रमाण-पत्र (द्वितीय चिकित्सा राय)	(ग) मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून/ सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	महानिदेशक
2.	जननी सुरक्षा योजना में देय प्रोत्साहन राशि	1. प्रभारी चिकित्साधिकारी	02 दिन (सामान्य प्रसव)	1. मुख्य चिकित्साधिकारी	1. मण्डलीय निदेशक
		2. चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	07 दिन (आपरेशन प्रसव)	2. मुख्य चिकित्साधिकारी	2. महानिदेशक

	मेडिकोलीगल प्रमाण–पत्र				
	(क) पुलिसमेडिकोलीगल प्रमाण–पत्र (ख) प्राईवेट मेडिकोलीगल (ग) एक्सीटेन्टल मेडिकोलीगल	सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी /आकस्मिक चिकित्साधिकारी	02 दिन	सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी/अधीक्षक/संबंधित क्षेत्र का उप मुख्य चिकित्साधिकारी ।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
	(घ) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति)	मुख्य चिकित्साधिकारी	07 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिलाधिकारी
4.	विकलांग प्रमाण–पत्र (साप्ताहिक)	मुख्य चिकित्साधिकारी	03 दिन	जिलाधिकारी	महानिदेशक
5.	औषधि अनुभाग (क) औषधि वितरण हेतु नवीन लाईसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	3 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(ख) औषधि वितरण हेतु लाईसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	1 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(ग) औषधि निर्माण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	3 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(घ) औषधि निर्माण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	1 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
6.	खाद्य सुरक्षा– 1. खाद्य लाइसेंस निर्गत करना	खाद्य लाईन्सेंस अधिकारी	02 माह	1. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	1. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)
	2. पंजीकरण	पंजीकरण अधिकारी	01 माह	2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

4. आवास विभाग–

(क) समस्त प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण:–

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय मानचित्र,अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	15 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त

2	व्यवसायिक मानचित्र, अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	60 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
3	मानचित्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	05 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
4	कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आवासीय मानचित्र	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	15 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
5	कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अनावासीय मानचित्र	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	30 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
6	भू–उपयोग की ज्ञात करना (स्पष्ट की–प्लान एवं दूरी दर्शाने के उपरान्त)	सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	10 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त

(ख) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग:–

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	आर०एच०डी० का पंजीकरण /नवीनीकरण	सहयुक्त नियोजक	15 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
2	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना पर तकनीकी अनापत्ति	सहयुक्त नियोजक	30 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
3	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना पर स्वीकृति	सहयुक्त नियोजक	60 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
4	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना की पूर्णता प्रमाण–पत्र	सहयुक्त नियोजक	30 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त

(ग) विनियमित क्षेत्र:–

क्र.स.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण	नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी	30 दिन	नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त

5. परिवहन विभाग–

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	वाहन का पंजीयन	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा	1–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 47 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–20,21, 22 और फार्म संख्या– A वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–38 के अन्तर्गत धारा–57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के	परिवहन आयुक्त

	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण–पत्र नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण–पत्र समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, चालान लम्बित न होने का प्रमाण–पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा । फिट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा ।	नियम– 35 के अन्तर्गत धारा– 57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	

6- पेयजल विभाग

क्र.सं.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना				
	(क) 15 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधिशासी अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	(ख) 20 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधिशासी अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	(ग) 25 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधिशासी अभियन्ता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	(घ) 32 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधिशासी अभियन्ता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	(ड.) 40 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधिशासी अभियन्ता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
	(च) 50 एम.एम.व्यास के जल संयोजन	अधीक्षण अभियन्ता	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
	(छ) 80 एम.एम.व्यास से अधिक के जल संयोजन	महाप्रबन्धक	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान / सचिव पेयजल
2	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां मकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	अधिशासी अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
3	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	अधीक्षण अभियन्ता	30दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक

ख-शहरी विकास विभाग

क्र.सं	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
01	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु, अस्पताल में होने पर एवं साक्ष्य हेतु चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर)	नगर निगम के नगर, स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	07 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार / अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	
02	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु अस्पताल के अलावा अन्य स्थान पर सूचना उपलब्ध होने पर)	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	15 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार / अधिशासी अधिकारी	15 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	15दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
03	जन्म-मृत्यु का निकाय में पूर्व से पंजीकरण होने की दशा में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र का निर्गमन	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार	03 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार / अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगर पालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

04	सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र, अविवादित (आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	60 दिन	मुख्य विकास अधिकारी,	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	60 दिन	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
05	सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र विवादित (आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	90 दिन	मुख्य विकास अधिकारी,	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	90 दिन	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
06	भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	30 दिन	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
07	नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति (केवल विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की परिधि के बाहर के क्षेत्र)	नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	30 दिन	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

9–विद्यालयी शिक्षा

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु0जाति / अनु0जनजाति /	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	छात्र से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 के अन्दर	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी

11	शस्त्र लाईसेन्स में अन्य कोई परिवर्तन करना विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है)	प्रभारी थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	मेला/प्रदर्शनी एवं अन्य आयोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13	नये शस्त्र लाईसेन्स का सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या उपलब्ध करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
14	शस्त्रों का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना ।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेन्स नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्नि शमन अधिकारी	15 दिन	क्षेत्राधिकारी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

2– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।

3– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्ण रूप से, यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4– उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या–1337(1)/XXXI(13)G/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ अधिसूचना की एक हजार प्रतियां छपवा कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(ओमप्रकाश [illegible])
अनु सचिव

संख्या-313 /XVIII(II)/2011

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल,
पौढ़ी/नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

विषय :- राजस्व वादों के निस्तारण में गति लाने के उददेश्य से पीठासीन अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों के लिए दिशा निर्देश गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व न्यायालयों में जनता की भूमि व संपत्ति से जुडे विभिन्न वाद निस्तारित किये जाते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतया राजस्व न्यायालयों में अधिक वाद नहीं हैं। किन्तु मैदानी क्षेत्रों में एवं जहां व्यवसायिक प्रगति अधिक है वहां पर राजस्व वादों में काफी वृद्वि हुई है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा यद्यपि और भी कई तरह के कार्य यथा विकास कार्यों का अनुश्रवण, प्रोटोकाल, आपदा आदि किये जाते हैं तथापि राजस्व वादों का समयबद्व निस्तारण उनका मौलिक उत्तरदायित्व है।

2- वर्तमान में राज्य में समस्त राजस्व न्यायालयों में लगभग 40,852 राजस्ववाद लम्बित है। एक माह में लगभग 7 हजार नए वाद प्रस्तुत किये जा रहे है जिनके सापेक्ष एक माह में लगभग छह हजार वादों का निस्तारण हो रहा है। इस प्रकार पूर्व से लम्बित वादों एवं नये वादों के आने से लम्बित वादों की संख्या बढ़ती जा रही है।

3- राजस्व विभाग/राजस्व न्यायालयों में कई मामले अनावश्यक लम्बित रहते है जो जनहित में नहीं है। विधिक प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने के उपरांत उन पर अमल की कार्यवाही समयबद्व आधार पर होनी चाहिए एवं विधिक प्रक्रियाओं को भी समयबद्व आधार पर पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से राजस्व विभाग/राजस्व न्यायालयों के अधीन निम्न महत्वपूर्ण विषयों को भी निम्न विवरणानुसार समयबद्व आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए-

	विषय	अधिनियम/धारा	सक्षम प्राधिकारी	प्रस्तावित समयावधि
	उत्तराधिकारी अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट	धारा 34, भू राजस्व अधिनियम	कानूनगो	सूचना के बाद 15 दिन
1 अ	उत्तराधिकारी अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट	धारा 34, भू राजस्व अधिनियम	नायब तहसीलदार/ तहसीलदार	35 दिन (तहसील वाद की स्थिति में)
2	निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों में वार्षिक रजिस्टरों का शुद्धिकरण	धारा 33(क), भू राजस्व अधिनियम	कानूनगो	सूचना प्राप्त होने के बाद 15 दिन
3	वार्षिक रजिस्टरों का अनुरक्षण	धारा 33/35, भू राजस्व अधिनियम	परगनाधिकारी/ सहा० कलेक्टर	सतत्
4	किसान बही उपलब्ध कराना	धारा 33, भू राजस्व अधिनियम	तहसील/ परगनाधिकारी/सहा० कलेक्टर	किसान बही उपलब्ध होने पर 15 दिन में
5	मानचित्र (नक्शा) तथा फील्ड बुक का रख–रखाव	धारा 28, भू राजस्व अधिनियम	कलेक्टर	06 माह
6	वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में विवादों का निपटारा	धारा 40, भू राजस्व अधिनियम	नायब तहसीलदार/तहसीलदार	सूचना प्राप्त होने पर 30 दिन
7	पट्टों का सत्यापन/पट्टों पर अवैध अध्यासियों का चिन्हीकरण			सतत्
8	खातों का सत्यापन/बेनामी खातों का चिन्हीकरण			सतत्
9	भूमि अंतरण के प्रकरणों में अपील विषयक कार्यवाहियां	धारा 210, भू राजस्व अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	06 माह (पुर्नरीक्षण यदि कोई हो तो उसकी अवधि छोड़ कर)
10	भूमिधरों के खातों का विभाजन	धारा 176, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	06 माह (पुर्नरीक्षण/प्रथम अपील/द्वितीय अपील/रिट याचिका यदि कोई हो तो उनकी अवधि छोड़ कर)
11	खातों के विभाजन का तरीका	धारा 178, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	45 दिन (पुर्नरीक्षण यदि कोई हो तो उसकी अवधि छोड़ कर)
12	प्रख्यापनिक वाद तथा किसी जोत अथवा उसके भाग का असामी होने का दावा विषयक वाद का निस्तारण	धारा 229/229बी, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	06 माह (पुर्नरीक्षण/प्रथम अपील/द्वितीय अपील/रिट याचिका यदि कोई हो तो उनकी अवधि छोड़ कर)
13	भूमि पर आगम बिना काबिज की बेदखली	धारा 209, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	03 माह (पुर्नरीक्षण/प्रथम अपील/द्वितीय

				अपील/रिट याचिका यदि कोई हो तो उनकी अवधि छोड़ कर)
14	अनुसूचित/आदिम जन जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि के अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने की कार्यवाही	धारा 211, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	03 माह
	प्रत्येक खातेदार का पृथक खाता तैयार करना	धारा 33, भू राजस्व अधिनियम	कानूनगो/नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार	सर्वेक्षण सक्रियाएं पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर

कृपया उपरोक्तानुसार विभिन्न वादों के समयबद्ध निस्तारण एवं इनके नियमित अनुश्रवण हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं इस संदर्भ में हुई प्रगति से पूर्व व्यवस्था के अनुरूप शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी.शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ०प०सं०-313 / समदिनांकित/2011
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, 12 ई.सी.रोड़ देहरादून।
4. प्रभारी मीडिया सेण्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

(4) सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित कार्यालय सहायक द्वारा प्राप्त किया जायेगा और उसी दिन सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** में शासनादेश संख्या–1353/XXXI(13)G/2011 दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अभिसूचित सेवाओं, नियत समय–सीमा आदि की सूचना, केन्द्र के सूचना पट्ट का प्रारुप प्रपत्र–01 पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) आवेदक को सेवा से सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी अथवा **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** के माध्यम् से अपेक्षित सेवा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(7) प्रथम चरण में **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** के माध्यम् से केवल राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा समाज कल्याण विभाग की अभिसूचित/चिन्हित सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या /xxxi(13)G/ 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को उपरोक्तानुसार अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों को निर्देशित किये जाने हेतु।

3- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

Letter&2.doc

संख्या 286 /XXVII(7)/ओ0, 2011

प्रेषक,
[illegible]
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वेतन आयोग-सा0नि0)अनु0-07 देहरादून:दिनांक: 5 दिसम्बर,2011

विषय–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3531/5–6–04–294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है, के स्वंय तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई,2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे है तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये है कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्जीय समायोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या:सा0–3–661/दस–2011 दिनांक 04 अगस्त,2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 1082/5–6–11–294/ 96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:3531/5–6–04–294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2– उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये है, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तराज्जीय समायोजन के अधीन में किया जाएगा।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

संख्या-56 (I)/XXVII (7) 09(II)/ 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
6- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमांऊ।
11- रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1) / 2011–2(7) / 2011
देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टाखाल के राजस्व ग्राम गडरी के उप ग्राम ड्वीला तल्ला जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1030(1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या– 2835/सात–भूलेख (2009–10) दिनांक 13 सितम्बर, 2010 के कम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने

-2-

अधिसूचना संख्या–1030/XVIII(1)/2011–2(7)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
20460 (जे0 ए0) 4200 (नॉन जे0 ए0)	गडरी	द्वीला तल्ला	2376	64.620	159.679

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– /XVIII(1)/2011–2(4)/2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (26) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के राजस्व ग्राम थमियाला के कांगड़ा एवं लाटा जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ग में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1३5(1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–3462/मु०रा०आ०/2011 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित

2–

कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौढ़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0र[illegible] शर्मा)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–1735/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
10208	चमियाला	कांगड़ा	3784	256.567	103.829
		लाटा	1069	72.624	29.390

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1)/2011–2(4)/2008
देहरादूनः दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के राजस्व ग्राम पंगरियाणा के लैणी जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1756(1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–1329/मु०रा०आ०/2011 दिनांक 02 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित

2–

कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–१७३६/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक०। दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटों की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
8000	पंगरियाणा	लैणी	2351	137.934	55.[illegible]

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– /XVIII(1)/2011–2(4)/2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला टिहरी के तहसील देवप्रयाग के राजस्व ग्राम दालढुंग के नाडा–धौलियाणा जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1234(1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:
प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–4029/मु०रा०आ०/2011 दिनांक 08 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित

2–

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1)/2011–2(4)/2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के राजस्व ग्राम फोल्ड के उपग्राम बमणगांव जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1238(1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–2147/ मु0रा0आ0/2011 दिनांक 06 जून, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के

2–

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– /XVIII(1)/2011–2(4)/2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के राजस्व ग्राम सिरी के धौंतरी जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–4592/ सात– भूलेख/राजस्व ग्रा0 गठन दिनांक 17 जुलाई, 2011 के संदर्भ में इस

2–

अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–२२५१/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक २१ दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटों की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
6054	गवाणा	ग्वाड टोला	1915	135.611	54.880

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1) / 2011–2(4) / 2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टाखाल के राजस्व ग्राम किमगड़ी के गवाणी जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–1545(1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–5763 / मु0रा0आ0 / 2010 दिनांक 12 अगस्त, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित

2–

कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

अधिसूचना संख्या–[illegible]/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

1 / मु०रा०आ० / 2010

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
14522	किमगड़ी	गवाणी	6143	1443	577.916

संख्या–471 /XVIII(1)/2011-3/2008

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त/
मुख्य संचालक राजस्व पुलिस,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 02 अप्रैल ~~मार्च~~, 2011

विषयः– राजस्व पुलिस संवर्ग के पुनर्गठन/वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, लगभग 95 वर्षों से चली आ रही कानून व्यवस्था को राज्य के लिये अभी भी उपयोगी समझा गया है। वर्तमान परिस्थितियों, कानून व्यवस्था की जटिलताओं, नये–नये कानूनों के प्रख्यापन तथा जांच प्रक्रिया आदि की कठिनाईयों के दृष्टिगत राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से राजस्व पुलिस संवर्ग में बेहतर कार्मिकों की सेवाये प्राप्त करने हेतु इस संवर्ग का वेतनमान, पदनाम, शैक्षिक अर्हताएं एवं उनके प्रशिक्षण को पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राजस्व पुलिस संवर्ग राजस्व निरीक्षक (कानूनगो), पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी अनुसेवक के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक अर्हता वर्तमान व्यवस्था को निम्नतालिका के अनुरूप पुनरीक्षित किये जाते हैं:–

वर्तमान व्यवस्था				पुनरीक्षित व्यवस्था		
क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	वर्तमान वेतनमान (रू0 में)	पदनाम	संशोधित वेतनमान (रू0 में)	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	प्रोन्नति का पद	(4500–7000) रू0 5200–20200 +ग्रेड पे रू0 2800	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	(5000–8000) 9300–34800+ ग्रेड पे–4200	प्रोन्नति का पद
2.	पटवारी	इण्टरमीडिएट (सीधी भर्ती)	(3050–4590) रू0 5200–20200 +ग्रेड पे रू0 1900	राजस्व उपनिरीक्षक	(4500–7000) 5200–20200+ ग्रेड पे–2800	स्नातक (सीधी भर्ती)
3.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय)/ पटवारी अनुसेवक	समूह 'घ' नियमावली के अनुसार	(2550–3200) रू0 4440–7440 +ग्रेड पे रू0 1300	राजस्व सेवक	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2550–3200 35% 2650–4000 33% 2750–4400 25% 3050–4590 10% रू0 1000/–प्रतिकर भत्ता	समूह 'घ' नियमावली के अनुसार

2–

सेवा संवर्गो के नियमावली में व्यवस्था कर नियमावली संशोधन/प्रख्यापन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

9- राजस्व पुलिस के पदधारको को राजस्व पुलिस कार्यों के संपादन हेतु अनुमन्य भत्ते सम्बन्धी शासनादेश संख्या-578/XVIII(1)/2010-3/2008 दिनांक 07 जून, 2010 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

10- शासनादेश द्वारा वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के फलस्वरूप राजस्व पुलिस संवर्ग के पदधारको को समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य वित्तीय/अन्य लाभ अनुमन्य होंगे।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-00-आयोजनेत्तर-103-भू-अभिलेख-03-जिला अधिष्ठान-00 के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-4892/XXVII(7)/2011 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या- /XVIII(1)/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
10. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
11. वित्त अनुभाग-5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

Seva manav GO (2).doc

64

संख्या– 1529/XVIII(1)/2011-3(12)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त/
मुख्य संचालक राजस्व पुलिस,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर 2011

विषयः– राजस्व पुलिस की सहायता प्रत्येक ग्राम सभा में नियुक्त ग्राम प्रहरी के मानदेय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–181/मु0सं0रा0पु0–24/2011 दिनांक 15.01.2011 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–35/राजस्व/2004 दिनांक 04 फरवरी, 2004 द्वारा राजस्व पुलिस के सहायतार्थ ग्राम सभा स्तर पर नियुक्त/रखे गये ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹ 200/– प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 500/– प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– मानदेय की संशोधित दरें इस आदेश के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी। ग्राम सभा में नियुक्त/रखे गये ग्राम प्रहरियों के संबंध में शासनादेश संख्या–35/राजस्व/2004 दिनांक 04 फरवरी, 2004 द्वारा की गयी अन्य व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–093–जिला स्थापनाएं–03–कलेक्ट्रेट स्थापनाएं–02–मजदूरी मद के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–04NP/XXVII(5)2011-12 दिनांक 08 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा) 11|11
प्रमुख सचिव

संख्या– /XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ पौड़ी उत्तराखण्ड।

2–

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग 5/7
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

GO (2).doc

संख्या-3058/XVIII(II)/11-7(23)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
   गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक:19 दिसम्बर, 2011

विषय-प्रदेश में सीजनल संग्रह कार्मिकों को समान कार्य/समान वेतन के आधार पर लाभ अनुमन्य किए जाने के संबंध में।

महोदय,

भू राजस्व, अन्य सरकारी देयों एवं विविध देयों की समयबद्ध वसूली राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है। इन देयकों की वसूली के लिए संग्रह संवर्ग के रूप में संग्रह अमीन एवं संग्रह अनुसेवक सहित सीजनल कार्मिकों को भी रखे जाने की व्यवस्था है। सीजनल संग्रह कार्मिकों के पक्ष में राज्य गठन के पूर्व से ही मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में न केवल सीजनल संग्रह कार्मिक अनवरत कार्य कर रहे हैं, कुछ मामलों में उन्हें समान कार्य समान वेतन के आधार पर लाभ भी मिल रहा है।

2. इस संबंध में सिविल मिस रिट पिटीशन सं0-9557/1997 उमराव सिंह रावत व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दि0-16.7.1997, सिविल मिस रिट याचिका सं0-31419/1997 हेम चन्द उप्रेती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दि0-30.7.1998 एवं रिट याचिका सं0-715/एस0एस0/2009 ऊधमसिंह नगर सीजनल संग्रह अमीन/अनुसेवक संघ बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दि0-27.12.2010 द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर सीजनल संग्रह कार्मिकों को समान लाभ अनुमन्य किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का समादर करते हुए प्रदेश में सभी सीजनल संग्रह कार्मिकों को संग्रह अमीन वेतन बैण्ड रूपये 5200-20200 ग्रेड पे-2000, संग्रह अनुसेवक वेतन बैण्ड रूपये 5200-20200 ग्रेड पे-1800 एवं सहायक वासिल बाकी नवीस वेतन बैण्ड रूपये 5200-20200 ग्रेड पे-1900 के अनुरूप समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

..............2

HINDI LETTERS

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–180NP/XXVII(5)/2011–12 दि0–19.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0-3058/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HINDI LETTERS

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–309/समदिनांकित/2011
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HINDI LETTERS

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण
संख्या-3155/18(2)/2011-7(23)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तराखण्ड, रूड़की।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2011

विषय-राजस्व विभाग के अंतर्गत संग्रह अमीनों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में भेजे गए अधियाचन को निरस्त करते हुए इसे चयन प्रकिया से पृथक किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश सं0-3090/18(2)/2011-7(23)/2008 दि0-19.12.2011, शासनादेश सं0-2280/18(2)/2011-7(86)/2008, दि0-16.12.2011 एवं शासनादेश सं0-3079/18(2)/2011-7(86)/2008 टी0सी0 दि0-16.12.2011 की छायाप्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा राज्य में संग्रह अमीनों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों को एक बार के लिए सीजनल संग्रह अमीनों से भरे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अतः इन पदों को जनपदवार भरे जाने हेतु पूर्व में प्रेषित अधियाचन पत्र को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया तद्नुसार इन पदों को चयन प्रकिया से पृथक किए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0-3155/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांऊ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस संबंध में तत्काल अपने स्तर से भी प्राविधिक शिक्षा परिषद से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HINDI LETTERS

संख्या– /18(2)/2011–07(86)/2008

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल एवं देहरादून)
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः /6 दिसम्बर, 2011

विषय–राज्य के मैदानी जनपदों/क्षेत्रों में सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल संग्रह अनुसेवक एवं सीजनल सहायक वासिल बाकी नवीसों हेतु संग्रह अमीन के 104 पद एवं संग्रह अनुसेवक के 87 एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के 9 पद सृजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में सीजनल कार्मिकों को वेतन एवं भत्ते अनुमन्य कराये जा रहे हैं। उक्त सीजनल कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इनका विनियमितीकरण संभव नहीं हो पा रहा है।

2. उपरोक्त जनपदों में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत/रिक्त पद एवं सीजनल रूप से कार्यरत कार्मिकों का जनपदवार विवरण निम्नवत हैः–

क्र०	जनपद का नाम	सृजित पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता		
		सं० अमीन वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–2000	सा० वा० बा० न० वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–1900	अनुसेवक वेतनमान रू 5200–20200 ग्रेड पे–1800	अमीन	अनुसेवक	सा०वा० बा०न०	अमीन	अनुसेवक	सा० वा० बा० न.
1	हरिद्वार	56	56	0	22	15	–	33	30	0
2	देहरादून	60	60	6	03	7	–	34	30	6
3	उधमसिंह नगर	44	44	0	14	13	–	28	18	2
4	नैनीताल	30	30	3	08	8	–	09	9	1
कुल योग		190	190	9	47	43	–	104	87	9

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में सृजित एवं विभिन्न कारणों से जनपदवार रिक्त पदों को उपलब्ध सीजनल संग्रह अमीन,सीजनल संग्रह अनुसेवकों एवं सहायक वासील वाकी नवीसों के समायोजन किए जाने के उपरान्त वर्ष 2000–2001 से पूर्व नियुक्त ऐसे सीजनल संग्रह स्टाफ जो इस समायोजन के उपरान्त भी समायोजित नहीं होते हैं, उनके लिये संग्रह अमीन के 104,संग्रह अनुसेवक के 87 एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के 9 अस्थाई पदों के सृजन की तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से 28.2.2012 तक के लिये इस प्रतिबन्ध

.........2

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 14 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 179/XXXVI(3)/2011/40(1)/2011
Dated Dehradun, April 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2011

[UTTRAKHAND ACT NO. 14 OF 2011]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand

Be it enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttrakhand Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Uttarakhand except the areas included and may be include from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of section 247-A

2. In place of sub-section (1) of section 247-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the following sub-section shall be substituted; namely :-

"(1) Notwithstanding anything contained in section 245, 246 and 247, every member of a family, the total area of land held by whose members as Bhumidhars on or after the date of commencement of the agricultural year beginning on July 1, 1977 does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres), shall be exempt from the liability to pay land revenue to the State Government :

शासनादेश संख्या– 592 /XVIII(1)/2011-01(21)/2010 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक

(1) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– भूमि अध्याप्ति–सामान्य राजस्व व्यय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	100
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	37
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	12
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	372

(2) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–04– राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	37
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	75
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	175
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125
18– प्रकाशन	12
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	6
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	125
29– अनुरक्षण	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	769

(3) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03–भू– राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	150
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	37
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	25

Non Plan-Letter

संख्या– 884/ XVIII(1)/2011-01(27)/2010

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 27 जुलाई, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011, शासनादेश संख्या–495/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 13.04.2011, शासनादेश संख्या–592/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 11.05.2011, शासनादेश संख्या–686/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 25.05.2011 एवं शासनादेश संख्या– 711/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 22.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत संलग्न सूची में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न लेखाशीर्षकों में अवचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि कुल ₹ 4,58,13,000/-(₹ चार करोड़ अट्ठावन लाख तेरह हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।
2. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।
4. व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

–2

Non Plan Letter

संख्या- / (1)/ XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक/वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी, देहरादून।
5 वित्त अधिकारी, मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून।
6 वित्त अनुभाग-5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non-Plan-Letter

45– अवकाश यात्रा व्यय	50
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	425
योग–	16625

(7) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	12
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	5
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
29– अनुरक्षण	12
42– अन्य व्यय	6
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	6
योग–	192

(8) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–101 आयुक्त–03 मुख्य कार्यालय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	62
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	250
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
25– लघु निर्माण	50
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
29– अनुरक्षण	125
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	985

महायोग– 2,25,96,000/-

(रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख छियानब्बे हजार)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan Letter

संख्या–1003/ XVIII(1)/2011-01(27)/2010

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 जुलाई, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011, शासनादेश संख्या–495/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 13.04.2011, शासनादेश संख्या–592/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 11.05.2011, शासनादेश संख्या–686/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 25.05.2011, शासनादेश संख्या– 711/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 22.06.2011 एवं शासनादेश संख्या– 884/XVIII(1)/2011 -01(27)/2010 दिनांक 27.07.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत संलग्न सूची में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न लेखाशीर्षकों के मद संख्या–46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि कुल ₹ 10,50,000/-(₹ दस लाख पचास हजार) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1 व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

2 किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

3 प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

4 व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

–2

Nce Phin-Lane

(ट) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ठ) "सेवा" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा अभिप्रेत है,

(ड) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(ढ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

(त) "नायब तहसीलदार" से "पेशकार" भी अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न होगी :–

पद का नाम	पदों की संख्या		योग
	स्थाई	अस्थाई	
नायब तहसीलदार	105	39	144

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) पचास प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा,

(2) (क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,

(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथासंशोधित और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

30	1003 / XVIII(1)/2011-1(27)/2010 दिनांक 29.07.2011	वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में	107–109
31	1160 / XVIII(1)/2010-3/2004 दिनांक 28.01.2011	उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक(नायब तहसीलदार) (संशोधन)सेवा नियमावली,2010 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक(नायब तहसीलदार)सेवा नियमावली,2009	110–118
32	1412 / XXX(2)/2011-3(1)/2006 दिनांक 21.11.2011	दैनिक वेतन,कार्यप्रभारित,संविदा,नियत वेतन,अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली–2011	119–124
33	571(1) / XVIII(1)/2012 दिनांक 11.05.2012	मुख्य राजस्व आयुक्त के स्थान पर राजस्व परिषद् के गठन के संबंध में ।	125–126
34	561 / XVIII(1)/2012-07(51)/2009 दिनांक 10.05.2012	राजस्व विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 (भारत का राजपत्र में प्रकाशित) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के संबंध में प्रवर्तित नियमों के संबंध में	127–137
35	590 / XVIII(1)/2012-2(9)/2011 दिनांक 17.05.2012	जिला पुर्नगठन आयोग के गठन के संबंध में	138–139
36	1801(1) / XXXI(13) G/2012 दिनांक 24.05.2012	सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के संबंध में अधिसूचना	140
37	1013 / X11/2011/86(38)/2008 दिनांक 09.12.2011	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण उप समिति से संबंधित अधिसूचना	141–142
38	1769 / XVIII(11)/2011-18(98)/2010 दिनांक 30.11.2011	उत्तराखण्ड(उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम,1901)(अधिनियम सं0–03 वर्ष 1901) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2001 की धारा–11 की उपधारा(2) के द्वारा जनपद देहरादून के क्षेत्रफल को जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर तहसील में सम्मिलित करने विषयक	143–144
39	397 / XVIII(11)/2012 दिनांक 09.02.2012	वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किये जाने के संबंध में	145–146
40	1395 / XVIII(11)/12/3(17)/12 दिनांक 01.06.2012	संक्रमणीय अधिकार देने के संबंध में ।	147–149
41	59 / XXVIII-4-2012-270/2008 दिनांक 28.02.2012	उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ,1947(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)की धारा–29 की उपधारा(3)के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण उप समिति का गठन	150
42	1345 / XVIII(11)/12/3(17)/12 दिनांक 30.05.2012	राजस्व विभाग की पट्टो पर दी गयी भूमियों के लाभार्थियों को भूमि के स्थानान्तरण /विक्रय के अधिकार दिये जाने के संबंध में	151

संख्या- 457 /XVIII(1)/2010-3(1)/2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2010

विषय- मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून के संरचनात्मक पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5356/IX-41/मु0रा0आ0/2008 दिनांक 07.08.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय हेतु उपयुक्त संरचनात्मक/कार्मिक ढांचे के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचार किये जाने के उपरान्त, श्री राज्यपाल, मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन के अन्तर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों में कार्मिक ढांचा/पद, निम्नवत पुनर्गठित करते हुये निम्न तालिका के कालम-5 के अनुसार पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त कुल 43 नये पदों को शासनादेश निर्गत करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक बशर्ते कि ये इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (रू0 में)	वर्तमान में स्वीकृत पद	अतिरिक्त सृजित पद	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य राजस्व आयुक्त	37400-67000 ग्रेड पे-12000	01	-	01	• पूर्व से सृजित पद। • अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भरा जायेगा।
2.	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	37400-67000 ग्रेड पे-8700	01	02	03	• अखिल भारतीय सिविल सेवा संवर्ग/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा भरा जायेगा। • कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय में सर्किट कोर्ट के कार्यों के निस्पादन हेतु दो पद रहेंगे। एक पद मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) देहरादून हेतु रहेगा।
3.	उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था)	15600-39100 ग्रेड पे-6600	-	01	01	• राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भरा जायेगा।
4.	उप राजस्व आयुक्त(प्रशासन)	15600-39100 ग्रेड पे-6600	-	01	01	-
5.	सहायक राजस्व आयुक्त(प्रशासन)	15600-39100 ग्रेड पे-5400	-	01	01	-
6.	संयुक्त निबन्धक	9300-34800 ग्रेड पे-4800	-	01	01	-

-2

23.	वाहन चालक	5200-20200 ग्रेड पे-1900	04	-	04	• अधिसंख्यक पद • ये पद आउटसोर्सिंग (OUT-SOURCING) से भरे जायेंगे।
24.	परिचारक	4440-7440 ग्रेड पे-	09	-01	08	• अनुसेवक के स्थान पर नया पदनाम • अधिसंख्यक पद • 08 पद आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे।
	योग		37	43	78	

2- उक्त शासनादेश के द्वारा जिन पदों का पदनाम परिवर्तन तथा वेतनमान के उच्चीकरण के पूर्व में कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं तो उक्त परिवर्तन/संशोधन तात्कालिक प्रभाव से ही प्रभावी होगा।

3- इस प्रकार उपरोक्त तालिका के अनुरूप मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन में कालम-4 में इंगित 37 पद पूर्व से सृजित हैं एवं कालम-5 में इंगित कुल 43 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति इस शासनादेश के माध्यम से दी जा रही है।

4- उपरोक्त तालिका के कालम-4/5 में उल्लिखित अधिसंख्य पद उसी अवधि के लिए सृजित/उपलब्ध रहेंगे जब तक कि उन पर कार्मिक कार्यरत हों। कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा पद त्याग करने पर अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। अधिसंख्य घोषित पदों में से किन्हीं पदों पर यदि कार्मिक कार्यरत न हों अथवा सेवानिवृत्त हो गये हों या अन्यथा पद त्याग कर दिया गया हो तो ऐसे पद स्वतः समाप्त मान लिये जायें। इसी प्रकार यदि उपरोक्त तालिका में दर्शित पदों के अतिरिक्त भी कोई नियमानुसार सृजित पद विभाग में उपलब्ध हों तथा उस पर कोई कार्मिक कार्यरत हो तो ऐसे पद अधिसंख्य पद के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उस पर कार्यरत कार्मिक सेवानिवृत्त न हो जाय अथवा अन्यथा पद त्याग न कर दिया जाय।

5- उक्त सृजित पदों पर नियुक्त कार्मिकों को उक्त पद के वेतनमान के अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किये जाने वाले महगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

6- तालिका के क्रमांक-12, 13 एवं क्रमांक-23, 24 क्रमशः वरिष्ठ सहायक के पद, कनिष्ठ सहायक के 03 पद एवं वाहन चालक के 04 पद एवं अनुसेवक के 08 पदों पर आउटसोर्सिंग आधार पर उक्त पदों की संख्या की सीमा में ही सेवा में लिए जायेंगे। कार्य संचालन हेतु योजित किये जाने वाले इन पद धारकों की आवश्यक संख्या व उन्हें देय वेतनमानों/नियत वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो तो, शासन का अनुमोदन पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इन कार्मिकों का आउटसोर्सिंग आधार पर सेवायोजन कार्य की आवश्यकता पड़ने पर ही व वांछित अवधि तक ही नियमानुसार किया जायेगा।

7- उपरोक्त तालिका के कालम-7 में इंगित व्यवस्थाओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन में विभिन्न पदों पर सेवारत/भर्ती कार्मिकों की भर्ती तथा सेवा स्थितियों को विनियमित करने हेतु लागू सेवा नियमावलियों में पुनरीक्षित संरचनात्मक/कार्मिक ढांचे के अनुसार वांछित संशोधन/पुनरीक्षण अविलम्ब सुनिश्चित कर लिए जायें।

8- सृजित पदों पर नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर एवं पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया एवं पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जायेगी, यदि किसी पद की आवश्यकता न हो तो इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के संरचनात्मक पुनर्गठन एवं कार्मिक ढांचे के निर्धारण सम्बन्धी समस्त पूर्व आदेश उपरोक्त सीमा तक अतिक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

-4

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2083/XXVII(7)/2009 दिनांक 17 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौढ़ी।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
10. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
11. वित्त अनुभाग-5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या /667/XXX(2)/2010 3(1)2010

प्रेषक

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 03 अगस्त, 2010

विषय:— लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन के सम्बंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु आयोग को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष विभिन्न कारणों से वर्ष 2002 के उपरान्त लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही बाधित हुई जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति/सम्भावना बनी है।

2— इस सम्बंध में उत्तराखण्ड लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 2003 के नियम–3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त विज्ञापित होने वाले पदों के संदर्भ में श्री राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु सम्बंधित सेवा नियमावलियों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एकबार के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य न होगा।

3— कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

11	चम्पावत	45	14	14	08	08	01
12	बागेश्वर	51	17	15	09	08	02
13	ऊधमसिंहनगर	96	31	29	17	16	03
	योग—	1066	341	320	192	194	19

(ग) <u>भूमि अध्याप्ति इकाई</u>

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूमि अध्याप्ति इकाई, देहरादून /हरिद्वार/टिहरी /नैनीताल/ अल्मोड़ा	37	12	11	07	07	—

(घ) <u>सर्वेक्षण इकाई</u>

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4800
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सर्वेक्षण इकाई देहरादून/ ऊधमसिंहनगर	12	04	04	02	02	—

3— कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कार्मिक हों, वहां पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जाना है, उक्त के आधार पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की तैनाती वाले कार्यालयों हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300—34800 ग्रेड वेतन—4600 के कुल 20 (बीस) पद बनते हैं। उक्त 20 पद प्रत्येक जनपद में पूर्व से स्वीकृत एक—एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों के अतिरिक्त है। स्वीकृत 20 पदों में से 01 पद आयुक्त कुमाऊं मण्डल कार्यालय एवं 19 पद 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की तैनाती वाली तहसीलों के लिये है, जिनका विवरण **संलग्नक** पर दृष्टव्य है।

4— उक्त पुर्नगठित/स्वीकृत पदों पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5— मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को पुनर्गठन के उपरान्त स्वीकृत पदों में समायोजित करने के बाद यदि निर्धारित विभाजन के सापेक्ष पद रिक्त रह जाता है तो उन्हें पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये भरा जाये, इसके अतिरिक्त उपरोक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पद धारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों की संख्या से अधिक हो जाती है तो अधिक पद धारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही सम्बन्धित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

6— उच्च वेतनमान के पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

7— उक्त पुनर्गठित स्टाफिंग पैटर्न में कोई अतिरिक्त नये पद सृजित नहीं किये जा रहे हैं, वरन् विभाग में पूर्व से ही सृजित पदों का स्टाफिंग पैटर्न के शासनादेश के अनुसार पुनर्गठन किया जा रहा है।

— 3—

8– कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 में उल्लिखित व्यवस्था संगत सेवानियमावली में कर ली जायेगी।

9– राजस्व विभाग के अन्र्तगत संरचनात्मक पुनर्गठन एवं कार्मिक ढांचे के निर्धारण सम्बन्धी समस्त पूर्व आदेश उपरोक्त सीमा तक अतिक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–4733/XXVII(7)/2010 दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या– / (1)/XVIII(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5 वित्त (वे0आ–सा0नि0) अनुभाग–7
6 वित्त अनुभाग–5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

GO (1).doc

प्ररूप–1

सूचना पट का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय ———

क्र.सं.	अधिसूचित सेवा	विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन के साथ सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम एवं पता	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम एवं पता	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में
   आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम–
2. प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा–
3. प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा–
4. द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा–
5. द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा–

कृपया अपने आवेदन की प्राप्ति अवश्य प्राप्त करें ।

आज्ञा से,
कार्यालयाध्यक्ष

प्ररूप–2

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आवेदन पत्र की प्राप्ति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता –

1. आवेदक का नाम एवं पता ....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में–
   आवेदन प्राप्ति का दिनांक..
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है..
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है
5. निश्चित की गई समय–सीमा की अन्तिम तिथि ....

स्थान ....दिनांक ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (मुहर सहित)

नोट– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लिखित अन्तिम तिथि अंकित नहीं की जायेगी ।

प्ररूप–3

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह ....वर्ष...................

क्र0सं0	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	आवेदन का दिनांक	निश्चित की गई समय–सीमा की अन्तिम तारीख	आवेदन स्वीकृत /निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप–4

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह ....वर्ष...................

क्र0सं0	अपीलार्थी का नाम एवं पता	प्रथम अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नामसहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है	अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा की अन्तिम तारीख	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

प्ररूप–5

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम.............................

माह ....वर्ष...................

क्र0 सं0	अपीलार्थी का नाम एवं पता	द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है	द्वितीय अपील के निस्तारण का विवरण (क) अपील निरस्त (ख) शास्ति का आदेश (ग) विभागीय जाँच अनुशंसा (घ) प्रतिकर का भुगतान	शास्ति की वसूली का दिनांक	प्रतिकर की राशि के भुगतान का दिनांक	विभागीय जाँच की अनुशंसा के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही	पुनरीक्षण आदेश का विवरण यदि प्राप्त हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	2. निवास प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	3. हैसियत प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	4. चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी हेतु)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	मुख्यालय का उप जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
	5. आय प्रमाण पत्र	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	15 दिन	उपजिलाधिकारी	जिला अधिकारी
	6. उत्तरजीवी / पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	उपजिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	7. चरित्र प्रमाण पत्र (रोजगार हेतु)	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
2.	चरित्र सत्यापन (राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	45 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
3.	1– दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रू0 2000.00 तक)	तहसीलदार	दैवीय आपदा घटित होने के 02 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
	2– दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रू0 5000.00 तक)	उप जिलाधिकारी	दैवीय आपदा घटित होने के 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	3– दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रू0 5000.00 से अधिक)	जिलाधिकारी	दैवीय आपदा घटित होने के 07 दिन के अन्दर	मण्डलायुक्त	मुख्य राजस्व आयुक्त
4.	मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	धनराशि प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
5.	खतौनी (ROR) की प्रति दिया जाना– 1. तहसील में आवेदन करने पर	रजिस्ट्रार कानूनगो	आवेदन की तिथि को ही	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी

		सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण–पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अव्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क / कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर । 2–व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क / कर /अतिरिक्त कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर। 3–अन्य जिलों /राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी।	लिए प्राधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	
2	शिक्षार्थी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम–10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–01, 02 निवास प्रमाण–पत्र, आयु के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति, 16–18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्का वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम– 08 के अन्तर्गत धारा– 8 की उप धारा– 6 एवं धारा– 17 की उपधारा– 02 और धारा– 19 की उपधारा– 03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सक्षम अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त
3	स्थायी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–04, वैध शिक्षार्थी लाईसेन्स (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) व्यवसायिक लाईसेन्स के लिए फार्म संख्या– 05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल का प्रमाण–पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम– 08 के अन्तर्गत धारा– 8 की उप धारा– 6 एवं धारा– 17 की उपधारा– 02 और धारा– 19 की उपधारा– 03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सक्षम अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त
4	फिटनेस	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 62 के अनुसार	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के	परिवहन आयुक्त

समाज कल्याण विभाग–

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	छात्रवृत्ति				
	सेवा–1 राज्य में अध्ययन छात्रों के सम्बन्ध में	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विद्यालयों से मांग पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा–2 राज्य से बाहर छात्रों के सम्बन्ध में	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विद्यालयों से मांग पत्र प्राप्त होने के 45 दिन ने स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
2	गौरा देवी कन्या धन योजना	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(अ) पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्ति से दो माह के भीतर पंजीकरण तथा जिला चयन समिति की बैठक से संस्तुति कराई जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
3	वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन सेवा–1(अ) ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	सहायक विकास अधिकारी पंचायत	जिला अधिकारी
	सेवा–1(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन लाभार्थियों हेतु	खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	जिला विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा–2 शहरी क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु	उपजिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा–3 उपरोक्त दोनों प्रकार के पेंशन लाभार्थियों हेतु	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(अ)खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण एवं लाभार्थी को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना 45 दिन के भीतर भेजी जायेगी। (ब) पेंशन भुगतान की कार्यवाही आवेदन पत्र प्राप्ति के त्रैमास से आगामी त्रैमास के अन्तिम माह में की जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
3	जनश्री बीमा योजना				
	सेवा–1 जनपद स्तर पर	जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्वीकृति/संस्तुति सहित राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा–2 राज्य मुख्यालय स्तर पर	उप–महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 20 दिन के भीतर जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।	महाप्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक

	अ0पि0वर्ग/अन्य संवर्ग) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण।				
	समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर (अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ0पि0 वर्ग/ अन्य संवर्ग) छात्रवृत्ति का वितरण	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	10 दिन	जनपद शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी
2	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र(टी0सी0)	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	07 दिन	जनपद शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी

10–गृह विभाग

कार्यों का विवरण जिन पर निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है :–

क्र.सं.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाया जाना।	निरीक्षक एलआईयू	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2	विदेशियों का पंजीकरण	निरीक्षक एलआईयू.	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3	बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहां का वह रहने वाला है।)	प्रभारी थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4	एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना (वादी को)	प्रभारी थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5	लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना	प्रभारी थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
6	सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7	पार-पत्र सत्यापन	निरीक्षक एलआईयू	21 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8	सामान्य प्रार्थना-पत्रों/शिकायतों का निस्तारण	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्राधिकारी	30 दिन	प्रभारी जनपद	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

कार्यों का विवरण जिन पर विभाग द्वारा जांच कर संस्तुति/ आख्या अग्रसारित की जानी है–

10	शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति करना/ आख्या अग्रसारित करना।(अगर लाईसेन्स निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व और लाईसेन्स निर्गत करने वाले जनपद जहां से सेवा प्रदान की जाती है।)	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या–2961 / XVIII(II) / 11–13(19) / 2009

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 24 नवम्बर, 2011

विषय–सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1628 / XXXI(13)G / 2011 दि0–21.11.2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

24/XI

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– / समदिनांकित / 2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं0–403 / XXXV–4 / 2011 दि0–18.11.2011 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
5. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HINDI LETTERS

मा. मुख्यमंत्री घोषणा
महत्वपूर्ण / सेवा का अधिकार
संख्या 1628/ XXXi(13)G/ 2011

प्रेषक

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊं
मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2011

विषयः– सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को एकल खिड़की के माध्यम् से उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011' द्वारा लागू हो चुका है। शासन द्वारा अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत कतिपय सेवाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या–1337 / XXXI(13)G/2011 दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 चिन्हित एवं अधिसूचित की जा चुकी हैं। सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1353 / XXXI(13)G/2011 दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

2– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को तहसील एवं विकास खण्डों स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तहसील स्तर पर एकल खिड़की के रूप में **"देवभूमि जनसेवा केन्द्रों"** के माध्यम से सेवायें प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में जनसेवा केन्द्र के संचालन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः–

(1) प्रथम चरण में **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** तहसील स्तर पर पूर्व से स्थापित जनाधार केन्द्र से संचालित होगें।

(2) **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन रहेगा।

(3) **"देवभूमि जनसेवा केन्द्र"** में एक कार्यालय सहायक की तैनाती राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी।

Letter&J-doc

की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 21/7/11

प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–१५३४/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक २१ दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
7426	दालडुंग	नाडा–धौलियाणा	3650	285.980	115.716

किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–1438/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
7816	फुल्ला	बमनगांव	2819	128	51.328

के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के संबंधित तहसील भवन तथा संबंधित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन-आख्या एवं संबंधित अभिलेखों में इन्द्राज अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

अधिसूचना संख्या–१७३९/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक21 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
6656	हिटाणू	उदाल्का	–	146.007	59.089
		भालसी	–	156.400	63.295

<u>अधिसूचना संख्या–१२५०/XVIII(1)/2011–2(4)/2008 दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक</u>

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
11892	सिरी	धौतरी	1038	50.142	20.057

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1) / 2011–2(4) / 2008
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001, की धारा 3 के खण्ड (26) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला टिहरी गढ़वाल के तहसील देवप्रयाग के राजस्व ग्राम गवाणा के ग्वाड टोला जिसकी गाटो की संख्या और क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौढ़ी एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–(1) / XVIII(1) / 2011 एवं तद्दिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–2832 / मु०रा०आ० / 2011 दिनांक 30 जुलाई, 2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित

2–

संख्या–309/18(2)/2011–07(86)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2011

विषय–राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2006 में सृजित संग्रह अमीन, संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के पदों को संगत सेवा नियमावली एवं स्थायीकरण सेवा नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुरूप स्थायी सेवा संवर्ग घोषित किए जाने एवं उक्त सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को दि0–9.11.2000 से सेवा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–122/18(1)/2006 दि0–9.6.2006 द्वारा सिविल रिट याचिका सं0–9557/1997 उमराव सिंह रावत एवं अन्य बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दि0–16.7.1997 के समादर में पर्वतीय जनपदों/तहसीलों में सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह अनुसेवक के 192–192 पद एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के कुल 30 पद अस्थायी रूप से सृजित किये गये थे जिसे वसूली के मानको के अनुरूप समय–समय पर प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा बढ़ाया जाता रहा है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त शासनादेश दिनांक 09–06–2006 द्वारा सृजित नियमित संग्रह अमीन, संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वासिल वाकी नवीस के पदों को संगत सेवा नियमावली एवं सरकारी सेवकों की स्थायीकरण सेवा नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुरूप स्थायी सेवा संवर्ग घोषित किए जाने एवं उक्त सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को दि0–9.11.2000 से सेवा का लाभ प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

HINDI LETTERS 2

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संवर्ग के विनियमितीकरण में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत दीर्घ अवधि से सीजनल रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को नियमित किए जाने के लिए उपरोक्त तालिका में इंगित समस्त रिक्त पदों को सीजनल कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिए एक बार के लिए उपलब्ध कराए जाने हेतु श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4 इस संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विनियमितीकरण नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर सीजनल कार्मिकों को विनियमित करने की सक्षम स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी। रिक्त पदों के विवरण, आरक्षण एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में यथाआवश्यक शासन का मार्गदर्शन/आदेश भी अनिवार्यतः प्राप्त कर लिया जाएगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

19/11

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या-3-79/18(2)/2011-07(86)/2008 टी०सी०

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2011

विषय-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रोंमेंवर्ष 2006 में सृजित संग्रह अमीन, संग्रह अनुसेवक एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को समायोजित करते हुए अवशेष संग्रह अमीन के 76 पद एवं संग्रह अनुसेवक के 59 पद सृजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-122/18(1)/2006 दि0-9.6.2006 द्वारा रिट याचिका संख्या-9557/1997 उमराव सिंह रावत एवं अन्य बनाम जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दि0-16.7.1997 के समादर में तत्समय वसूली की मांग के अनुरूप पर्वतीय जनपदों/तहसीलों में सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह अनुसेवक के 192-192 पद एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के कुल 30 पद अस्थायी रूप से सृजित किए गए थे। इसके साथ ही सीजनल स्टाफ की तैनाती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। समय-समय पर पर्वतीय सीजनल संग्रह अमीन संघ तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से यह मांग प्राप्त होती रही है कि वर्ष 2006 में पद सृजन होने के उपरान्त विभिन्न जनपदों में सीजनल स्टाफ अभी भी उपलब्ध है एवं उनके नियमितीकरण के लिए पद उपलब्ध नहीं है। यह भी अवगत कराया गया है कि इन सभी सीजनल कार्मिकों को मा0 न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में वेतन एवं भत्ते अनुमन्य कराये जा रहे हैं।

2. उक्त शासनादेश दि0-9.6.2006 द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत/रिक्त पद एवं सीजनल रूप से कार्यरत कार्मिकों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

सं०	जनपद का नाम	सृजित पदों की संख्या			सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की संख्या			सीजनल रूप से कार्यरत कार्मिकों की संख्या		
		सं० अमीन वेतनमान रू 5200-20200 ग्रेड पे-2000	स० वा० न० वेतनमान रू 5200-20200 ग्रेड पे-1900	अनुसेवक वेतनमान रू 5200-20200 ग्रेड पे-1800	अमीन	सह०वा०न०	अनुसेवक	अमीन	सह०वा० न०	अनुसेवक
1	अल्मोड़ा	20	3	20	20	0	18	8	0	9
2	नैनीताल	12	2	12	12	0	8	18	4	13
3	पिथौरागढ़	11	2	11	11	0	11	16	0	20
4	बागेश्वर	8	1	8	7	1	8	6	0	7
5	चम्पावत	6	1	6	6	1	5	3	0	3
6	देहरादून	13	2	13	12	0	9	1	0	0
7	टिहरी	31	5	31	27	5	29	22	3	16
8	पौड़ी	47	7	47	45	3	42	0	0	0
9	चमोली	11	2	11	10	1	10	0	0	0
10	उत्तरकाशी	26	4	26	23	4	22	12	1	12
11	रुद्रप्रयाग	7	1	7	7	1	7	0	0	0
कुल योग		192	30	192	180	16	169	88	8	82

HADUD LETTERS

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दि0–9.6.2006 के द्वारा सृजित एवं विभिन्न कारणों से रिक्त संग्रह अमीन के 12 पद, संग्रह अनुसेवक के 23 पद एवं सहायक वासिल बाकी नवीस के 14 पदों को असमायोजित सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल संग्रह अनुसेवकों एवं सहायक वासिल बाकी नवीसों के समायोजन के लिए आंबटित करने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. पर्वतीय सीजनल संग्रह कार्मिक जो इस समायोजन के उपरान्त भी समायोजित नहीं हो पाते है उनके लिए संग्रह अमीन के 76 अस्थायी पद एवं संग्रह अनुसेवक के 59 कुल 135 अस्थायी पदों के सृजन की भी श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. यह पद 28 फरवरी 2012 तक के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन सृजित किए जा रहे है कि उन्हें बिना पूर्व नोटिस के पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।
ii. विनियमितीकरण की कार्यवाही, विनियमितीकरण नियमावली, 2011 के अधीन की जायेगी।
iii. सीजनल संग्रह कार्मिकों हेतु उक्त सृजित पदों को प्रथम बार शत प्रतिशत सीजनल संग्रह कार्मिकों द्वारा ही भरा जायेगा।
iv. इन पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर, रिक्त पदों को तभी भरा जाएगा जबकि तत्समय लागू वसूली के मानक के अनुरूप जनपद में पदों की आवश्यकता हों अन्यथा तत्समय लागू मानक से अधिक पद स्वतः निरस्त समझे जाऐंगे। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किसी भी दशा में नई भर्तियां नहीं की जायेगी ।
v. जनपदवार पदों का विवरण एवं आरक्षण की पूर्ण स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जायेगा एवं यथाआवश्यकता इस सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायेंगे ।
vi. इन सृजित पदों पर विभिन्न कारणों से रिक्त होने के उपरान्त कोई भी नई भर्ती करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी ।
vii. इन पदों पर विनियमितीकरण के संबंध में उमा देवी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का भी संज्ञान लिया जाएगा।

4. उक्त पदों पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्यय अनुदान सं0–6 लेखा शीर्षक 2029–भू राजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03, भू राजस्व (माल गुजारी) तकाबी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

..................3

HAHUD LETTERS

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–178 NP / XXvii(5)2011–12 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–3079/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

HINDI LETTERS

संख्या-294 /XVIII(II)/2011-14(3)2010 21/06

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 3 मई, 2011

विषय-उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-179/XXXVI(3)/11-40(1)/2011 दि0-29.4.2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य में भू राजस्व की दर मात्र 1 रू0 वार्षिक किए जाने से संबंधित उक्त अधिसूचना के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या- /संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग) के पत्र सं0-1441/XXXV-4-210/घो0/2010 दि0-10.11.2010 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त घोषणा का अनुपालन हो गया है।
2. आयुक्त, कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

क्रम संख्या–68

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2011 ई0
वैशाख 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 179/XXXVI(3)/2011/40(1)/2011
देहरादून, 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011"** पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत और समय–समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3). यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 247–क का संशोधन

2\. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247–क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात् :—

"(1) धारा 245, 246 एवं 247 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवार के सदस्यों द्वारा 1 जुलाई 1977 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिधर के रूप में धृत भूमि का क्षेत्रफल 1.26 है० (3.125 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य का राज्य सरकार को मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट होगी :

परन्तु यह कि ऐसे भूमिधर, जिनके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 3.125 एकड़ से अधिक किन्तु 12.5 एकड़ से न्यून है, के लिए भू–राजस्व की दर 1 रु० वार्षिक होगी।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

Provided that such Bhumidhar, who holds the area of land more than 3.125 acre but less than 12.5 acre, the rate of land revenue shall be one rupees per anpum."

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 20 विधायी/206–2011–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या–495 / XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 एवं शासनादेश संख्या–210/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत संलग्न सूची में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न लेखाशीर्षकों में वचनबद्ध मदों हेतु कुल ₹ 1,66,42,31,000/- (रू0 एक अरब छियासठ करोड़ बयालिस लाख इकतीस हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।
2. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।
4. व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

–2

संख्या– / (1)/ XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक/वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan-Later

शासनादेश संख्या– 595 / XVIII(1)/2011-01(21)/2010 दिनांक 13 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

(1) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– भूमि अध्याप्ति–सामान्य राजस्व व्यय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	20000
03–महंगाई भत्ता	12000
06–अन्य भत्ता	2200
09–विद्युत देय	30
10–जलकर	30
13–टैलीफोन व्यय	50
योग–	34310

(2) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–04– राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	8000
02–मजदूरी	150
03–महंगाई भत्ता	4800
06–अन्य भत्ता	880
09–विद्युत देय	150
10–जलकर	20
13–टैलीफोन व्यय	150
योग–	14150

(3) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03–भू– राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	140000
03–महंगाई भत्ता	84000
06–अन्य भत्ता	15400
09–विद्युत देय	100
10–जलकर	50
13–टैलीफोन व्यय	50
योग–	239600

Non Plan-Laser

(4) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–103–भू–अभिलेख–03 जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	400000
02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	240000
06–अन्य भत्ता	44000
09–विद्युत देय	200
10–जलकर	50
13–टैलीफोन व्यय	60
17–किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	200
योग–	684610

(5) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय–03 खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	25000
02–मजदूरी	50
03–महंगाई भत्ता	15000
06–अन्य भत्ता	2750
09–विद्युत देय	50
10–जलकर	10
13–टैलीफोन व्यय	50
17–किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	300
योग–	43210

(6) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03 कलेक्टरी स्थापना

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	350000
02–मजदूरी	12000
03–महंगाई भत्ता	210000
06–अन्य भत्ता	38500
09–विद्युत देय	8000
10–जलकर	800
13–टैलीफोन व्यय	5000
17–किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	500
योग–	624800

(7) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	2100
02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	1260
06–अन्य भत्ता	231
09–विद्युत देय	100

Non Plan-Later

10–जलकर	50
13–टैलीफोन व्यय	50
17–किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	100
योग–	**3991**

(8) **अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–101 आयुक्त–03 मुख्य कार्यालय**

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
01–वेतन	11000
02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	6600
06–अन्य भत्ता	1210
09–विद्युत देय	250
10–जलकर	100
13–टैलीफोन व्यय	200
17–किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	100
योग–	**19560**

महायोग– 1,66,42,31,000.00

(रू0 एक अरब छियासठ करोड़ बयालिस लाख इकतीस हजार)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan-Later

संख्या– 592/ XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 11 मई, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 एवं शासनादेश संख्या–495/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 13.04.2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत संलग्न सूची में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न लेखाशीर्षकों में अवचनबद्ध मदों हेतु कुल ₹ 2,25,96,000/- (रू0 दो करोड पच्चीस लाख छियानब्बे हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1 व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

2 किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

3 प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

4 व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

–2

Non Plan

संख्या–   / (1) / XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक / वरिष्ठ कोषागार / कोषाधिकारी, देहरादून।
5 वित्त अधिकारी, मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून।
6 वित्त अनुभाग–5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan-Latter

47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	62
योग–	711

(4) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–103–भू–अभिलेख–03 जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	625
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	500
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	200
26– लघु निर्माण कार्य	200
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500
29– अनुरक्षण	250
42– अन्य व्यय	25
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	100
योग–	2743

(5) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय–03 खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	17
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	37
42– अन्य व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	12
योग–	199

(6) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03 कलेक्टरी स्थापना

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	1250
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	375
07– मानदेय	100
08– कार्यालय व्यय	3750
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	500
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	250
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	6875
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	375
25– लघु निर्माण कार्य	500
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	875
29– अनुरक्षण	1250
42– अन्य व्यय	50

Non Plan Letter

45– अवकाश यात्रा व्यय	50
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	425
योग–	16625

(7) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	12
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	5
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
29– अनुरक्षण	12
42– अन्य व्यय	6
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	6
योग–	192

(8) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–101 आयुक्त–03 मुख्य कार्यालय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	62
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	250
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
25– लघु निर्माण	50
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
29– अनुरक्षण	125
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	985

महायोग– 2,25,96,000/-

(रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख छियानब्बे हजार)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan-Letter

संख्या–711 / XVIII(1)/2011-01(27)/2010

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 22 जून, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की मदों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011, शासनादेश संख्या–495/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 13.04.2011, शासनादेश संख्या–592/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 T.C दिनांक 11.05.2011 एवं शासनादेश संख्या–686/XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 25.05.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत संलग्न सूची में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न लेखाशीर्षकों में अवचनबद्ध मदों हेतु द्वितीय त्रैमास के लिए कुल ₹ 2,30,21,000/- (₹दो करोड़ तीस लाख इक्कीस हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1 व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

2 किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

3 प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी०एम०–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

4 व्यय करते समय स्टोर पर्चेज़ रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

–2

Non Plan-Lann

संख्या– / (1)/ XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक/वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी, देहरादून।
5 वित्त अधिकारी, मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून।
6 वित्त अनुभाग–5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non-Plan-Letter

शासनादेश संख्या– 711 /XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक 22-जून, 2011 का संलग्नक

(1) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू-राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– भूमि अध्याप्ति– सामान्य राजस्व व्यय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	100
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	37
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	12
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	372

(2) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू-राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–04– राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	37
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	75
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	175
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125
18– प्रकाशन	12
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	6
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	125
29– अनुरक्षण	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	769

(3) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू-राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–05– राजस्व पुलिस सुदृढ़ीकरण

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	50
10– जलकर/जलप्रभार	150
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	125
योग–	425

(4) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03–भू– राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	150
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	37
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	62
योग–	711

(5) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–103–भू–अभिलेख–03 जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	625
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	87
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	500
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	200
25– लघु निर्माण कार्य	200
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500
29– अनुरक्षण	250
42– अन्य व्यय	25
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	100
योग–	2743

(6) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय–03 खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	17
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	37
42– अन्य व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	12
योग–	199

(७) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03 कलेक्टरी स्थापना

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	1250
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	375
07– मानदेय	100
08– कार्यालय व्यय	3750
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	500
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	250
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	6875
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	375
25– लघु निर्माण कार्य	500
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	875
29– अनुरक्षण	1250
42– अन्य व्यय	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	50
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	425
योग–	16625

(८) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	12
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	5
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
29– अनुरक्षण	12
42– अन्य व्यय	6
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	6
योग–	192

(९) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–101 आयुक्त–03 मुख्य कार्यालय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	62
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	250
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
25– लघु निर्माण	50
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50

29– अनुरक्षण	125
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	985

महायोग– 2,30,21,000/-

(रू0 दो करोड़ तीस लाख इक्कीस हजार)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–592 /XVIII(1)/2011-01(21)/2010 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक

(1) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– भूमि अध्याप्ति–सामान्य राजस्व व्यय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	75
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	100
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	37
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल	12
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	372

(2) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–04– राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	37
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	75
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल	175
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125
18– प्रकाशन	12
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	6
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	125
29– अनुरक्षण	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	25
योग–	769

(3) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03–भू– राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
07– मानदेय	25
08– कार्यालय व्यय	150
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल	37
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150
42– अन्य व्यय	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	25

Non Plan-Letter

47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	62
योग–	711

(4) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–103–भू–अभिलेख–03 जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	625
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	87
07– मानदेय	6
08– कार्यालय व्यय	500
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	200
25– लघु निर्माण कार्य	200
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500
29– अनुरक्षण	250
42– अन्य व्यय	25
45– अवकाश यात्रा व्यय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	100
योग–	2743

(5) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय–03 खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	17
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07– मानदेय	2
08– कार्यालय व्यय	37
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	25
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	37
42– अन्य व्यय	12
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	12
योग–	199

(6) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03 कलेक्टरी स्थापना

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में/आयोजनेत्तर
04– यात्रा व्यय	1250
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	375
07– मानदेय	100
08– कार्यालय व्यय	3750
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	500
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	250
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	6875
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	375
25– लघु निर्माण कार्य	500
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	875
29– अनुरक्षण	1250
42– अन्य व्यय	50

Non Plan-Letter

संख्या– (1)/ XVIII(1)/2011 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौढ़ी/नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक/वरिष्ठ कोषागार/कोषाधिकारी, देहरादून।
5 वित्त अधिकारी, मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय देहरादून।
6 वित्त अनुभाग–5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

Non Plan Letter

शासनादेश संख्या– /XVIII(1)/2011-01(27)/2010 दिनांक जुलाई, 2011 का संलग्नक

(1) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–भूमि अध्यापि–सामान्य राजस्व व्यय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50

(2) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–04– राजस्व आयुक्त अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100

(3) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–05– राजस्व पुलिस सुदृढ़ीकरण

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	–

(4) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–101 संग्रहण प्रभार–03–भू– राजस्व (मालगुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400

(5) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भूराजस्व–103–भू–अभिलेख–03 जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100

(6) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–800–अन्य व्यय–03 खेतों की चकबन्दी–0302–जिला अधिष्ठान

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	–

(7) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03 कलेक्टरी स्थापना

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300

(8) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–03–राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50

(9) अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 जिला प्रशासन–101 आयुक्त–03 मुख्य कार्यालय

मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू० में/आयोजनेत्तर
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50

महायोग– 10,50,000/-

(रू० दस लाख पचास हजार)

(सन्तोष बडोनी)

अनुसचिव।

Non Plan Letter

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / /XVIII(1)/2010–3/2004
देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 है।
   (2) यह तुरन्त लागू होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2)(क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,	(2)(क) तीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,
(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।	(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, (ग) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वन पंचायत निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

2–

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा वन पंचायत निरीक्षक उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

आज्ञा से,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या– 1160 (1)/XVIII(1)/2010, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 सौ प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–1

13 फरवरी, 2009 ई0

संख्या 240/XVIII(1)/2009–4/2008–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषायें–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम) 1994 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) अभिप्रेत है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के आयुक्त अभिप्रेत है,

(ड) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(च) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(झ) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अथवा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है,

भाग चार–अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि, उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. शैक्षिक अर्हता–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

9. अधिमानी अर्हता–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11. चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 8 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच चुके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परामर्श पदोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

17. संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों के द्वारा की जावें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जावेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जावेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18. चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण–

नियम 15 या 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नियत किया जावे, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

19. अर्हता परीक्षा–

(1) प्रशिक्षण के अंत में एक अर्हता परीक्षा अभिनिर्धारित होगी जिसके लिये मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी की उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर कार्य और आचरण का निर्धारण करेगा जिसके लिये अर्हता परीक्षा के लिये कुल अंकों के बीस प्रतिशत अंक निश्चित किये जावेंगे और अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त अंकों को अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि सत्र के दौरान वह संस्थान के कुल [illegible] के कुल दिनों के अस्सी प्रतिशत [illegible] में उपस्थित न रहा हो तथापि मुख्य राजस्व आयुक्त आपवादिक मामलों में शर्तों को शिथिल कर सकते हैं।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसको संस्थान में दो महीने के अवसर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी जिनमें अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र में मुख्य राजस्व आयुक्त एक अधिकारी को अर्हता परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा। अधीक्षक अपने बदले में निरीक्षक नियुक्त करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेंगे। अधीक्षक, स्वविवेकानुसार परीक्षार्थी को या तो अर्हता परीक्षा से विवर्जित कर सकता है या किसी प्रश्न–पत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में से कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुये कदाचार के आधार पर ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का पूरा अवसर परीक्षार्थी को प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। मुख्य राजस्व आयुक्त का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

भाग छ–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

21. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक, विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु उपबन्ध यह है, कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

22. स्थायीकरण–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या, बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने चार मास का विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन की गई यह घोषणा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

23. ज्येष्ठता–

मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2003 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन आदि

24. वेतनमान–

(1) नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनबैंड एवं सादृश्य ग्रेड पे निम्न प्रकार है :–

पदनाम	वेतनबैंड/वेतनमान (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड पे (रू0 में)
नायब तहसीलदार	9300-34800	4200

25. परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे दे, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण–

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह ऐसे मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 07–3–2009, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 22 राजस्व/177–13–3–2009–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 1412/XXX(2)/2011– 3(1)/2006
देहरादून: दिनांक: 21 नवम्बर, 2011

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा,नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या 1412/XXX (2)/2011- 3(1)/2006 दिनांक 21 नवम्बर, 2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रभारी सचिव/अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
3. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संलग्न: यथोक्त

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या: 1512 /XXX(2)/2011–3(1)/2006
देहरादून : दिनांक 21 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

मा० उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी व अन्य (ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1806) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 के परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं/पदों पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किए जाने के लिए एतद्‌विषयक पूर्व में प्रख्यापित/निर्गत समस्त नियमावलियों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् नियमावली बनाते हैं :–

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2.		इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों हेतु बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
परिभाषाएं	3.		जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–
		(क)	किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से संवर्ग के अन्तर्गत

- 1 -

विनियमितीकरण हेतु विचारित होने वाले पद विशेष पर नियुक्त करने के लिए संवर्ग की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है।

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिए शर्तें।

4\. इस नियमावली के अधीन ऐसा कार्मिक विनियमितीकरण हेतु अर्ह होगा :—

(1) जो दिनांक 01.11.2011 से 10 वर्ष पूर्व अर्थात 01.11.2001 तक दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त हुआ हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस पद या समकक्ष पद पर, निरन्तर सेवारत रहा हो;

(2) जो उपनियम (1) में सन्दर्भित ऐसी नियुक्ति के समय रिक्त/स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया हो और नियुक्ति के समय पर पद हेतु प्रचलित सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं तथा आयु सीमा सम्बन्धी शर्तें पूर्ण करता हो; तथा

(3) जिसको विनियमित करने हेतु इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को उस संवर्ग में पद स्वीकृत एवं रिक्त हो।

(4) उप नियम (1) में निर्धारित तिथि तक पात्रता सूची में अंकित सभी कार्मिकों को पद रिक्त होने तक विनियमित किया जायेगा।

विनियमितीकरण हेतु चयन समिति का गठन।

5\. विनियमितीकरण के प्रयोजन से शासन स्तर के पदों हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख द्वारा तथा विभाग स्तर के पदों हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें विभाग के दो अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। इस प्रकार गठित चयन समिति में सम्मिलित अधिकारियों में से कोई अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के न होने की स्थिति में इन श्रेणियों के एक–एक अधिकारी को अतिरिक्त रूप से चयन समिति का सदस्य नामित किया जायेगा।

विनियमितीकरण की प्रक्रिया।

6\. (1) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक पद के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम 4 की शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की एक अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची उस

ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा जैसा कि उस पद पर उनकी दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक साथ नियुक्त हुए हों तो अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची उस क्रम में तैयार करेगा, जिस क्रम में उनके नाम उनकी नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित हों और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को तथा एक ही श्रेणी में नियुक्त हुए हों तो सूची में उनका क्रम आयु में ज्येष्ठता के क्रम में अवधारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि पद विशेष पर समान प्रकार/श्रेणी से नियुक्ति के स्थान पर भिन्न–भिन्न प्रकार/श्रेणी से (यथा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक अथवा तदर्थ) नियुक्ति की गयी हो, तो अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची नियुक्ति आदेश के दिनांक के क्रम में तैयार की जायेगी; और यदि नियुक्ति आदेश का दिनांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठता के क्रम में अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में उनका क्रम अवधारित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची सूचीबद्ध कार्मिकों के मध्य परिचालित कर तथा अपनी विभागीय वेबसाईट, यदि हो, पर प्रदर्शित करते हुए हितबद्ध कार्मिकों से पन्द्रह दिनों में आपत्तियां आमंत्रित करेगा और तदोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची जारी करेगा।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) के अनुसार तैयार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची को अभ्यर्थियों के सुसंगत अभिलेखों के आधार पर, जो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा चयन समिति प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस नियमावली के अधीन कार्मिक जिस वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) से सम्बन्धित है, उसका विनियमितीकरण उसी वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/

अनारक्षित) में उपलब्ध पदों/रिक्तियों की सीमा तक किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) के अनुसार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में आरक्षित श्रेणी का कोई कार्मिक अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति/पद के सापेक्ष विचार क्षेत्र में आ रहा हो, तो ऐसे कार्मिक को अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति के सापेक्ष विनियमित किया जायेगा, किन्तु यदि आरक्षित श्रेणी की रिक्ति हो और ऐसी रिक्ति के सापेक्ष विनियमितीकरण हेतु उस आरक्षित श्रेणी का पात्र कार्मिक उपलब्ध न हो तो उस रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक को विनियमित नहीं किया जायेगा और ऐसी रिक्ति नियमित चयन के माध्यम से सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी से ही भरी जायेगी।

(5) चयन समिति विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम संयुक्त पात्रता सूची की ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

आयु सीमा में छूट 7. उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार विनियमितीकरण के लिए पात्र कार्मिकों को सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली के अनुसार विहित अधिकतम आयु की सीमा सम्बन्धी शर्त से उतनी अवधि हेतु, जितनी कि विनियमितीकरण के दिनांक को आवश्यक हो, छूट प्रदान की जायेगी।

नियुक्तियां 8. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपर्युक्त नियम 6 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में से कार्मिकों के विनियमितीकरण के आदेश उस क्रम में पारित करेगा जिस क्रम में उनका नाम उक्त सूची में रखे गये हों। विनियमितीकरण का आदेश जिस तिथि को जारी किया जायेगा, उसी तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा और पूर्ववर्ती किसी तिथि से मौलिक रूप से नियुक्त नहीं माना जायेगा।

(2) छठवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत काडर में परिवर्तित करने सम्बन्धी पूर्व आदेश उक्त नियमावली के अधीन विनियमितीकरण करके नियुक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के पदों पर लागू नहीं होंगे। उक्त नियमावली के अधीन विनियमित होकर नियुक्त

होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के सेवानिवृत्त, पदत्याग अथवा मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

नियुक्ति की विधिमान्यता

9. इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के माध्यम से की गयी नियुक्ति संगत सेवा नियमों या आदेशों के, यदि कोई हों, के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

10. (1) इस नियमावली के अधीन विनियमित कोई कार्मिक इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उस संवर्ग/पद के सापेक्ष ज्येष्ठता का हकदार होगा और सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष उसकी ज्येष्ठता विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व तक संगत सेवा नियमों अथवा यथा स्थिति विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किए गए कार्मिक के नीचे निर्धारित की जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन विनियमित किए गए कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उपर्युक्त नियम 6 के उपनियम (2) के अन्तर्गत तैयार की गयी अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में अंकित ज्येष्ठता के अनुरूप होगी।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1)/2012–3(1)/2008
देहरादून: दिनांक 11 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2408/राजस्व/2001 दिनांक 26 सितम्बर, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत "राजस्व परिषद" के स्थान पर "मुख्य राजस्व आयुक्त" कार्यालय का गठन करते हुए कार्यालय के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदो का निर्धारण किया गया था एवं शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा "मुख्य राजस्व आयुक्त" कार्यालय का पुनर्गठन किया गया, मैं संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "मुख्य राजस्व आयुक्त" कार्यालय के स्थान पर "राजस्व परिषद", उत्तराखण्ड के गठन करने एवं "राजस्व परिषद" उत्तराखण्ड में निम्नवत पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष, राजस्व परिषद	शीर्षस्थ वेतनमान ₹80000/–(नियत)	• मुख्य राजस्व आयुक्त के पद को समाप्त करते हुए। • अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भरा जायेगा।
2.	अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्टाफ आफिसर	₹ 9300–34800 ग्रेड पे–4800	• मुख्य राजस्व आयुक्त के स्टाफ आफिसर के पद को समाप्त करते हुए।

2– मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2010 में इंगित तालिका के क्रमांक–2 से क्रमांक–6 एवं क्रमांक–8 से क्रमांक–24 तक के पद एवं शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2010 की शर्तें यथावत रहेंगे।

3– मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के गठन एवं पद सृजन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–487/XXVII(7)/2012 दिनांक 11 मई, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या– 519 (1)/XVIII(1)/2012 एवं तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, देहरादून।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

2–

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
8. महानिदेशक, पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
16. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
17. गार्ड-फाइल।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

GO (2).doc

संख्या 587/XVII-1/2012-243(स.क.)/2002-टी.सी.-1

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. पुलिस महा निदेशक,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-01 देहरादून दिनांक 23 अप्रैल, 2012

विषय- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 (भारत का राजपत्र में प्रकाशित), में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सम्बन्ध में प्रवर्तित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.01.2012 का संलग्नकों सहित सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि भारत का राजपत्र में प्रकाशित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम-2011 के अनुपालन में उपबन्ध 1 (राहत राशि के लिए मापदण्ड) व उपबन्ध 2 (विविध प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन और उनकी प्रमाणन प्रक्रिया सम्बन्धित मार्ग दर्शन) में अनुसूचित प्राविधानों को राज्य में पूर्णतः लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के क्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम-2011 के उपबन्ध 01 व उपबन्ध 02 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित समस्त विभागों/अधिनस्थ कार्यालयों/निगमों को सम्बन्धित आदेश निर्गत कर शासन को अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय

(सुबर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /उक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी-नैनीताल।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(सुबर्द्धन)
सचिव।

ंयुक्त सचिव
NT SECRETARY

Sanjeev Kumar
Telefax: 011-23383853

Most Immediate
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 115

D.O. No. 11012/2/2008-PCR(Desk)

Dated: 20-01-2012

Dear

In exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes(Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, were notified on 31.03.1995. These Rules had not been amended thereafter.

2. The Central Government has, after consultation with State Governments/Union Territory Administrations, concerned Central Ministries, National Commission for Scheduled Castes etc. issued a notification on 23.12.2011,effecting the following main amendments in the said Rules:-

(i) Amendment of Annexure I of the Scheduled, effecting an increase –generally of 150% in the minimum scale of relief for victims of atrocities

(ii) Amendment of Annexure-II of the Schedule, replacing the earlier guidelines dated 06.8.1996, for assessment of various disabilities with the guidelines dated 01.6.2011, currently in force.

3. A copy of above Notification dated 23.12.2011, as published in the Gazette of India, Extraordinary, is enclosed, for necessary action. While the contents of the Notification may be brought to the notice of all concerned Departments/Officers for immediate necessary action, they may please not be publicized in the media till 09.3.2012, i.e. till the Model Code of Conduct is in operation in the context of the forthcoming Assembly elections in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur and Goa.

4. I shall be grateful if the amendments are urgently brought to the notice of all concerned Departments in the State/UT, for necessary action.

Encl: As above

Yours sincerely,

(Sanjeev Kumar)

Smt. Manisha Pawar
Principal Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Uttarakhand,
Dehradun

10.2.12

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2011/पौष 2, 1933
No. 682]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2011/PAUSA 2, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 896(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (iv) में ''निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों में अनुसूची और उपाबंध-I के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"अनुसूची
उपबंध-1
(नियम 12 (4) देखें)
(राहत राशि के लिए मापदण्ड)

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60,000/- रुपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा । दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : I. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए । II. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए ।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3(1) (ii)]	
3.	अनादरसूचक कार्य [धारा 3(1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [धारा 3(1) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/- रुपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जाएगी । जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए,।
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1) (v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [धारा 3(1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/- रुपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/- रुपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है ।
8.	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3(1) (viii)]	60,000/- रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो ।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी	

	[धारा 3(1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष-सिद्ध होने पर ।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3(1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/- रुपए, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए ।
12.	महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3(1) (xii)]	
13.	पानी गन्दा करना [धारा 3(1) (xiii)]	2,50,000/- रुपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत । उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए ।
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3(1) (xiv)]	2,50,000/- रुपए तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [धारा 3(1) (xv)]	स्थल बहाल करना । ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो । पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए ।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3(2) (i) और (ii)]	कम से कम 2,50,000/- रुपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा 3(2)]	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/- रुपए यदि अनुसूची में विशिष्ट । अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा ।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा ।
19.	नि:शक्तता ।	

	निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी । अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न है ।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000 रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर ।
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे । तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/- रुपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/- से कम नहीं होगा ।
20.	हत्या/मृत्यु	
	(क) परिवार का न	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/- रुपए । 75 प्रतिशत

4. मूल नियमों में, विद्यमान उपाबंध-2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुबंध II

नियम 12 (4) और 19)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली–1,जून 2001

विषय : विविध प्रकार का विकलांगताओं के मूल्यांकन और उनकी प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित मार्गनिर्देश।

सं. 16–18/97 एन.आई.–I–कल्याण मंत्रालय के तारीख 6 अगस्त, 1986 के का.ज्ञा. सं. 4–2/83–एच–डब्ल्यू–III में यथा प्रदत्त विविध प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रकिया से संबंधित मार्गनिर्देश और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए समुचित आशोधन/परिवर्तनों की सिफारिश के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता ने 28–8–1998 के आदेशानुसार विविध प्रकार की अशक्तता की परिभाशाओं को मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में मानसिक मंदल (मेंटल रिटार्डेशन), अंग चेष्टा (लोकोमोटर), विकलांगता संबंध निःशक्तता (आर्थोपेडिक डिस्एबिलिटी), दृष्टि विकलांगता और वाक एवं श्रवण निःशक्तता के क्षेत्र से संबंधित चार समितियों का गठन किया। तारीख 21–7–1999 को बहु–विकलांगता का मूल्यांकन, उसका

निर्धारण और अशक्तता का वर्गीकरण और विस्तार तथा प्रमाणन प्रक्रियाओं के एक अन्य समिति भी गठित की गयी थी।

2. इन समितियों को रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् मुझे निम्नलिखिति अशक्तताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया से संवसाधित मार्गनिर्देशों को अधिसूचित करने हेतु राष्ट्रपति के अनुमोदन को सूचित करने का निर्देश हुआ है।

1. दृष्टि क्षीणता
2. अंग चेष्टा या हिलने डुलने में अशक्तता संबंधी (लोकोमीटर)/ विकलांगता संबंधी (आर्थोपेडिक) निःशक्तता
3. वाक और श्रवण विकलांगता
4. मानसिक अवमंदता (रिटार्डेशन)
5. बहु–विकलांगता (मल्टीपल डिसएबिलिटी)

रिपोर्ट की प्रति अनुबंध के रूप में इसके साथ संलग्न है।

3. किसी तरह की रियायत/लाभ का पात्र होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अशक्तता होनी चाहिए।

4. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1996 (1996 का 1) की धारा 73 की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड को होगा। राज्य सरकार तीन सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें एक सदस्य

- कारणवश जो अंग आहत हो या हो या जिसमें तकलीफ, बेचैनी बढ़ गई हो उसके कारण हुई विकलांगता।

यथास्थिति चलने संबंधी लोकोमोटर/निम्न दृष्टि/श्रवण सहित दृष्टि एवं वाक् विकलांगता, मानसिक अवमंदन और रोगमुक्त कुष्ठ रोग का आकलन करने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।

5. अनुबंध में निर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रमाणपत्र देने से पहले चिकित्सा बोर्ड द्वारा विशेष परीक्षण (टेस्ट) करवाए जाएंगे और उनका रिकार्ड रखा जाएगा।

6. यह प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष तक वैध होगा जो अस्थयी तौर पर अशक्त हैं। स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए यह वैधतर स्थायी" दर्शायी जा सकती है।

7. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उक्त पैरा 4 में निर्दिष्ट चिकित्सा बोर्डों का तत्काल गठन करें।

8. परिभाषाओं/वर्गीकरणों/मूल्यांकन/परीक्षणों आदि के निर्वचन से संबंधित किसी प्रकार का विवाद/संदेह पैदा होने की स्थिति में, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंतिम प्राधिकारी होंगे।

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1

संख्या– / XVIII(1)/2012–2(9)/2011
देहरादून: दिनांक: 17 मई, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–515/18(1)/2009–08(4)/2009 दिनांक 17.08.2009 के द्वारा राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा कतिपय मामलों मे अपनी संस्तुयिां भी दी गयी थी। इस विषय पर आम जनता एवं जनप्रतिनिधिगण से विभिन्न सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त होते रहें है।

शासनादेश संख्या–1553/ XVIII(1)/2011-9(2)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा चार नए जिलों के गठन के संबंध में प्राथमिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस स्वीकृति के उपरांत विभिन्न स्तरों से जिला मुख्यालय तथा सीमाओं के गठन आदि के संबंध में कई सुझाव मिलें है एवं कुछ स्थानों पर इनके मुख्यालय के चिन्हांकन, जिलों में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों आदि के संबंध में विवाद रहा है।

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.08.2009 द्वारा गठित समिति को तथा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय जिला पुर्नगठन आयोग निम्नानुसार गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन – संयोजक सदस्य
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल उत्तराखण्ड – सदस्य
4. वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य

आयोग द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) के प्राविधानों/सीमाओं एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के सापेक्ष ही युक्तियुक्त रूप से विचार किया जा सकेगा।

3– आयोग द्वारा अन्य संगत बिन्दुओं के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विचार कर संस्तुतियां दी जाएगीं –

1. प्रचार–प्रसार के माध्यम से आम जनता के सुझावों को प्राप्त करना। जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श एवं आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई के माध्यम से सुझाव प्राप्त करना।
2. प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला इकाईयों के पुर्नगठन के लिए विभिन्न कारणों/औचित्यों की जानकारी व उनका अभिलेखीकरण करना।
3. राज्य की नवीन परिस्थितियों में जिला इकाईयों पुर्नगठन हेतु नए/संशोधित मानकों का निर्धारण।
4. निर्धारित मानकों के अनुरूप जिला इकाईयों के पुर्नगठन की संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करना।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

2–

संख्या– 590(1)/XVIII(1)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौढ़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्याः /xxxi(13)G/ 2012
देहरादून दिनांक 25 मई, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 12 की उपधारा (1) परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सेवा का अधिकार आयोग के गठन होने की तारी तक इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु ' एस0 राजू, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन को एतद्द्वारा नामित करते हैं।

2. इस हेतु श्री एस0 राजू को पृथक से कोई वेतन व सुविधाएं आदि प्राप्त नहीं होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

/

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

संख्याः–1601(1)/xxxi(13)/G/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट, असाधारण में प्रकाशित कर अधिसूचन की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव।

Belwal Letter&2-doc

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्या– 103/XII/2011/86(38)/2008
दिनांक देहरादून 07 नवम्बर,2011 दिसम्बर

अधिसूचना

पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38)/08 दिनांक 25–02–2009, के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया ।

2– अतः उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम,1947(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल पूर्व गठित "ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता **समिति**" के स्थान पर "**ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण उप समिति**" के नाम से संशोधन करते हुए पूर्व अधिसूचना में व्यवहृत कार्य दायित्व के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– गाँवों में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पोष्टिक भोजन की महत्ता के बारे में जानकारी देना।

2– गाँवों में ग्राम स्तरीय कर्मियों के सहयोग से गाँव के पोषण की स्थिति का पता करना विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों में पोषण के स्तर का।

3– गाँवों में स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक पदार्थों का उपयोग करने हेतु बढ़ावा देना जिससे उनके रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

3–ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना में पोषण को सम्मिलित करना:–

1– उपरोक्त समिति द्वारा समुदाय में कुपोषण का विश्लेषण समुदाय तथा H0use hold Survey के माध्यम से किया जायेगा जिसमें ए0एन0एम0 आंगनवाड़ी कार्यकत्री, तथा एवं आई0सी0डी0एस0 सुपरवाजरों की पूर्ण भागीदारी होगी।

2– प्रत्येक माह गाँवों में आयोजित हो रहे ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण दिवसों को सुनिश्चित करने हेतु उनका नियमित पर्यवेक्षण किया जाये।

3– समुदाय से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें निकट के Nutrition Rehabilitation Centre (NRC) को संदर्भित किया जाये तथा साथ ही उन पर नियमित निगरानी रखना।

4– गाँवों में संचालित हो रही आंगनवाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर बच्चों और महिलाओं के पोषण की स्थिति की जानकारी करना।

5– ग्राम हेतु ग्रेवान्स रिड्रैसल केन्द्र के रूप में कार्य करना।

4– उक्त आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या–Z–18015/8/2011–NRHM–II, दिनांक 27 जुलाई 2011 के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

5– अधिसूचना संख्या–126/XII/09/86(38)/08,दिनांक 25–02–2009, में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(डी0पी0एस0 गुसाईं)
सचिव

संख्या– /XII/2011/86(38)/2008,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराण्ड शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड ।
7– निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।
8– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, देहरादून।
9– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल।
10– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जिला पचांयतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– एन0आई0सी0।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 कुलारिया)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः 769/XVIII(II)/2011–18(98)/2010
देहरादूनः दिनांकः 3 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (अधिनियम सं0–3 वर्ष 1901) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 11 की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून के खसरा सं0–58 मि0 से 5.2150 है0, खसरा सं0–59 मि0 से 6.4550 है0 तथा खसरा सं0–299 मि0 से 2.7800 है0 कुल क्षेत्रफल 14.4500 है0 भू भाग को तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में सम्मिलित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल यह भी निदेश देते है कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग 4, खण्ड ख, परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 25–25 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं जिलाधिकारी, देहरादून व टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1769.../ XVIII(II) /2011- 18 (98)/2010..dated30 NOVEMBER, 2011 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA VIBHAG
No.1769/XVIII(II)/2011-18(98)/2010
DEHRADUN: DATED:30 NOVEMBER, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Uttarakhand (The U.P. Land Revenue Act, 1901) (U.P. Act. No. 3 of 1901), Adaptation And Modification Order, 2001, the Governor is pleased to incorporate 5.2150 Hactare from khasra no-58, 6.4550 Hactare from khasra no-59 and 2.7800 Hactare from khasra no-299 total area 14.4500 Hactare Land of Tehsil Rishikash, District Dehradun to Tehsil Narendranagar, District Tehri Garhwal with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

2- The Governer is further pleased to direct nothing in this notificaion shall affect any legal proceedings already initiated, commenced or pending in any court of law, which has hitherto exercised jurisdiction in respect of said areas.

By Order,

(P.C Sharma) २५/५१
Principle Secretary.

संख्या-397/XVIII(II)/2012

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग देहरादून, दिनांक29 फरवरी, 2012

विषय :- वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2887/XVIII(II)/11-18(120)2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह उल्लेख किया गया है कि "वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय-समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी"। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद कई मामलों में सैद्धान्तिक तथा अंतिम स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण इस बीच भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अथवा उसे भेजे गये इन प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। अब यदि इन प्रस्तावों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे इन योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी

संख्या 1482(1)/XXX(2)/2010 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव महामहिम राज्यपाल को महामहिम राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,
ह0
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या–561 /XVIII(1)/2012–07(51)/2009

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 मई, 2012

विषयः–राजस्व विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 (भारत का राजपत्र में प्रकाशित), में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सम्बन्ध में प्रवर्तित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–587/XVII-1/2012-243(स0क0)/2002–टी0सी0–1 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 की छायाप्रति संलग्नको सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)(संशोधन) नियम–2011 में निहित प्रावधानों एवं उपबन्ध 1 (राहत राशि के लिए मापदण्ड) व उपबन्ध 2 (विविध प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन और उनकी प्रमाणन प्रक्रिया सम्बन्धित मार्ग दर्शन) का अपने स्तर से राजस्व विभाग के अन्तर्गत नियमानुसार अनुपालन करवाते हुए कृत कार्यवाही की सूचना/प्रगति आख्या से एक निश्चित समय अन्तराल में शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या–561(1)/XVIII(1)/2012 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य संचालक राजस्व पुलिस/अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव

	कमाने वाला सदस्य	पोस्टमार्टम के पश्चात और और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/- रुपए । 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर ।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा कियों गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित ।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा । (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए । (iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था ।
22.	पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान ।	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो । वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए ।"

अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमीदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुरूप कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समयबद्ध आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

29/2/12

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0– /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या 1395/18(2)/12/3(17)/12

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 1–6–2012

विषय : संक्रमणीय अधिकार देने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 1345/18(2)/12/3(17)/12 दिनांक 30.05.2012 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में प्रवर्तन के लिए यथानुकूलित एवं यथोपान्तरित) की धारा 131–ख निम्नवत् है:–

131–ख. संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा। – (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक की अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने के पश्चात् विक्रय द्वारा भूमि का अन्तरण करता है, तो वह गांव सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथा परिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

उपरोक्त प्राविधान से आच्छादित होने वाले समस्त असंक्रमणीय भूमिधरों को नियमानुसार संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाना आपका उत्तरदायित्व है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी कई प्रकरण शेष हैं एवं सम्बंधित खतौनियों में संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार दिये जाने विषयक प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस हेतु अपने जनपद में दिनांक 10.06.2012 से दिनांक 10.07.2012 तक एक विशेष अभियान संचालित करें एवं प्रत्येक तहसील में साप्ताहिक कैम्प आयोजित कर उपरोक्त प्राविधान से आच्छादित होने वाले समस्त असंक्रमणीय भूमिधरों को नियमानुसार संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान करने का कष्ट करें। इस हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से एवं ग्राम प्रधानों को पत्र प्रेषित कर व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करें।

इस सम्बंध में प्रगति सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक सोमवार को शासन को एवं राजस्व परिषद को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या :   /18(2)/12/3(17)/12, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायुं मण्डल, नैनीताल।
5. गार्ड पत्रावली।

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

प्रारूप

जनपद का नाम :

रिपोर्ट की तिथिः

क्र0सं0	तहसील का नाम	कैम्प आयोजित करने का दिनांक	प्रश्नगत सप्ताह में कृत कार्यवाही		कमिक प्रगति	
			खतौनियों में प्रविष्टियों की संख्या	सम्बंधित कुल भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	खतौनियों में प्रविष्टियों की संख्या	सम्बंधित कुल भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–4
संख्या–59 /XXVIII-4-2012-270/2008
देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2012

कार्यालय आदेश

अधिसूचना संख्या–1013 / XII / 2011 / 86(38) / 2008, दिनांक 09.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–29 की उपधारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व गठित 'ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति' के स्थान पर 'ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण उप समिति' का गठन किया गया है।

2– अधिसूचना संख्या–1013 / XII / 2011 / 86(38) / 2008, दिनांक 09.12.2011 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि उक्त अधिसूचना के प्राविधानों के अनुसार यथानियम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

/

(एस.रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 59 (1) / XXVIII-4-2012-270/2008 तददिनांक ।
प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड फाईल ।

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या :   /18(2)/12/3(17)/12

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 30 मई 2012

विषय : राजस्व विभाग की पट्टों पर दी गई भूमियों के लाभार्थियों को भूमि के स्थानान्तरण/विक्रय के अधिकार दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में प्रवर्तन के लिए यथानुकूलित एवं यथोपान्तरित) की धारा 131–ख में असंक्रमणीय भूमिधरों को कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमणीय (स्थानान्तरण/विक्रय) अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है।

इस सम्बंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस धारा के प्राविधानों का निम्नानुसार ही एक माह के अन्तर्गत पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर शासन को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या : 345/18(2)/12/3(17)/12, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी/कुमायुं मण्डल, नैनीताल।
5. गार्ड पत्रावली।

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,देहरादून

(मैनुअल संख्या– 09)

कार्यालय राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड,देहरादून

मैनुअल संख्या–09
(अद्यावधिक दिनांक 30.6.2012 तक)

अधिकारियों एंव कर्मचारियों की निर्देशिका

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्तमान पते तथा दूरभाष नम्बर कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हें यथासमय आवश्यकता पड़ने पर शासकीय तथा लोकहित में सम्पर्क करने पर जनता के कार्यों का सम्पादन करवाया जाता है। राजस्व परिषद कार्यालय में तैनात अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है:-

(अ) राजस्व परिषद अधिष्ठान

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	आवास का पता	दूरभाष संख्या	
				कार्यालय	आवास
1	श्री सुभाष कुमार	अध्यक्ष,राजस्व परिषद	तिलक रोड देहरादून	0135–2669203	
2	श्री आर0सी0 पाठक	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	सहस्त्रधारा रोड,देहरादून	2669415	
3	श्री अवनेन्द्रसिंह नयाल	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,सर्किट कोर्ट,नैनीताल		05942–232734	
4	श्री गंगा प्रसाद	वित्त नियंत्रक	अजबपुर,देहरादून	2669221	9411395450
5	श्री डी0एन0पालीवाल	निजी सचिव,ग्रेड–2	सरस्वती विहार,देहरादून	2669221	941297350
6	श्री वीरेन्द्रसिंह नेगी	सहायक राजस्व आयुक्त	अपर सारथी विहार,देहरादून	2669221	9152993140
7	श्री कमलकिशोर डिमरी	अनुभाग अधिकारी	हरिद्वार रोड देहरादून	2669221	
8	श्री दिनेश सेमल्टी	अपर निजी सचिव	हर्रावाला देहरादून	2669221	
9	श्री नीरज पाण्डे	आशुलिपिक	आफिसर्स कालोनी,देहरादून	2669221	9410940559
10	श्री अरूणचन्द कोटनाला	लेखाकार		2669221	9411381215
11	श्री रामेश्वरसिंह पवार	लेखाकार	ई0सी0 रोड,देहरादून	2669221	9412971579
12	श्री शेखरचन्द रौतेला	लेखाकार	एम0डी0डी0ए0 कालोनी,देहरादून	2669221	9412479482
13	श्री खीमसिंह नेगी	लेखाकार	रायपुर देहरादून	2669221	
14	श्री गोपालनाथ गोस्वामी	समीक्षा अधिकारी	सर्किट कोर्ट,नैनीताल	05942–232734	9412162649
15	श्री पूरनचन्द पुरोहित	समीक्षा अधिकारी	अपर राजीवनगर,देहरादून	2669221	9719666272
16	श्री बैंकूलाल कोहली	समीक्षा अधिकारी	एम0डी0डी0ए0कालोनी, देहरादून	2669221	9927572441
17	श्री राजेन्द्रसिंह बिष्ट	समीक्षा अधिकारी	तुनवाला,देहरादून	2669221	9152769823
18	श्री गौतम लाल मुयाल	समीक्षा अधिकारी	हर्रावाला देहरादून	2669221	9557585639
19	श्री विजय राज भट्ट	सहायक समीक्षा अधिकारी	नत्थनपुर ,देहरादून	2669221	9411326250
20	श्री प्रवीन कुमार नैथानी	सहायक समीक्षा अधिकारी	कांवली रोड,देहरादून	2669221	
21	श्री राजेश बेलवाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	कौलागढ़,देहरादून	2669221	9760819003
22	श्री राजेन्द्रसिंह रावत	कनिष्ठ लिपिक	कौलागढ़,देहरादून	2669221	7896132547
23	श्री पंकज भण्डारी	चालक	शास्त्री नगर देहरादून	2669221	9410190076

24	श्री अन्सी लाल	चालक	रेसकोर्स कालोनी,देहरादून	2669221	9411170417
25	श्री संजय कुमार	चालक	डोईवाला देहरादून	2669221	
26	श्री संजय मलिक	चालक	सर्किट कोर्ट नैनीताल	05942-232734	
27	श्री जबरसिंह	अनुसेवक	अपर राजीव नगर देहरादून	2669221	
28	श्री जयवीरसिंह	अनुसेवक	सरस्वती विहार देहरादून	2669221	
29	श्री सूरज पालसिंह	अनुसेवक	सीमाद्वार देहरादून	2669221	
30	श्री रमेशसिंह	अनुसेवक	रायपुर देहरादून	2669221	
31	श्री केशरसिंह	अनुसेवक	सम्बद्ध जिला चम्पावत	2669221	
32	श्री भगवती प्रसाद उनियाल	अनुसेवक	नेहरू कालोनी देहरादून	2669221	9897810884
33	श्री दिनेश चन्द	अनुसेवक	अम्बीवाला गुरूद्वारा,देहरादून	2669221	

(ब) कृषि गणना/सांख्यिकीय अनुभाग

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	आवास का पता	दूरभाष संख्या	
				कार्यालय	आवास
1	श्री अजयकुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	नं0-16,टाईप-4,न्यू सचिवालय कालोनी केदारपुरम देहरादून	2669548	8859005424
2	श्री बच्चनसिंह नेगी	सहायक निदेशक	शास्त्रीपुरम आमवाला देहरादून	2669548	9720607379
3	श्री भरतसिंह भण्डारी	क0सं0 अधिकारी	दिव्या विहार,राजीवनगर देहरादून	2669548	9412115578
4	श्री हिमान्शु कुमार	कनिष्ठ लिपिक	सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	2669548	9997331912
5	श्री अरविन्द कुमार पंत	कनिष्ठ लिपिक	मातामंदिर धर्मपुर देहरादून	2669548	9997503533
6	श्री अजय कुमार	अनुसेवक	अजबपुर कलाँ देहरादून	2669548	9634787819
7	श्री यादवचन्द तिवाड़ी	सख्या सहायक	इन्द्रप्रस्थ,नाथनपुर देहरादून	2669548	

गढ़वाल मण्डल

क्र0 सं0	नाम अधिकारी	पद नाम	दूरभाष संख्या	मोबाईल संख्या
1	श्री कुणाल शर्मा	आयुक्त,गढ़वाल मण्डल	01368–222602 222563	9411344809
2	श्री चन्द्रेश कुमार यादव	जिलाधिकारी, पौढ़ी	01368–222260 222202	9411110033
3	डा0 रंजीत कुमार सिन्हा	जिलाधिकारी,टिहरी	01376–232092 232040	9456797999
4	श्री रमन रविनाथ	जिलाधिकारी,देहरादून	0135– 2623503 2622389 2659975	9412053715
5	श्री सचिन कुर्वे	जिलाधिकारी,हरिद्वार	0334–239440 239645	9456565757
6	डा0 आर0राजेश कुमार	जिलाधिकारी,उत्तरकाशी	01374–222280 222101	9412077501
7	श्री एस0ए0मुरूगेशन	जिलाधिकारी,चमोली	01372–252102 252101	7579115972
8	डा0 नीरज खेरवाल	जिलाधिकारी,रुद्रप्रयाग	01364–233300 233376	8859604001
9	श्री विजय चन्द कौशल	अपर आयुक्त,गढ़वाल मण्डल	01368–222564 222563	

कुमायूँ मण्डल

क्र0 सं0	नाम अधिकारी	पद नाम	दूरभाष संख्या	मोबाईल संख्या
1	डा0 हेमलता ढौंडियाल	आयुक्त,कुमायूँ मण्डल	05942–235750 233775	9412055559
2	श्री पी0के0मुलासी	अपर आयुक्त,कुमायूँ मण्डल	05942–235750 233775	
3	सुश्री निधिमणी त्रिपाठी	जिलाधिकारी,नैनीताल	05942–235684 235265	9456591992
4	श्री बृजेश कुमार संत	जिलाधिकारी,उधमसिंहनगर	05944–242344 242345	9456592118
5	श्री अक्षत गुप्ता	जिलाधिकारी,अल्मोड़ा	05962–230170 230299	9456593401
6	श्री सी0एम0एस0बिष्ट	जिलाधिकारी,पिथौरागढ़	05964–225301 225001	9410392121
7	श्री आशीष जोशी	जिलाधिकारी,चम्पावत	05965–230285 230275	7579106767
8	डा0 वी0षणमुगम	जिलाधिकारी,बागेश्वर	05963–220763 220330	8958812322

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,देहरादून

(मैनुअल संख्या– 10)

कार्यालय राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड,देहरादून

मैनुअल संख्या–10
(अद्यावधिक दिनांक 30.6.2012 तक)

प्रत्येक अधिकारी एंव कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धती

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक के रुप में वेतन का निर्धारण शासन की वेतन नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है।मासिक पारिश्रमिक/वेतन का विवरण निम्न प्रकार है–

(अ) राजस्व परिषद अधिष्ठान

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धि
1	श्री सुभाष कुमार	अध्यक्ष,राजस्व परिषद	80,000	–	1,32,540.00
2	श्री आर0सी0 पाठक	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त	37400–67000	8700	अ0मु0रा0आ0 का अतिरिक्त प्रभार होन पर वेतन शासन से आहरित
4	श्री गंगा प्रसाद	वित्त नियंत्रक			
5	श्री डी0पी0ध्यानीथाल	निजी सचिव,ग्रेड–2	9300–34800	4200	40680.00
6	श्री बीरेन्द्रसिंह नेगी	सहायक राजस्व आयुक्त	9300–34800	4800	36439.00
7	श्री कमलकिशोर डिमरी	अनुभाग अधिकारी	9300–34800	4800	34226.00
8	श्री दिनेश सेमल्टी	अपर निजी सचिव	9300–34800	4200	30665.00
9	श्री नीरज पाण्डे	आशुलिपिक	5200–20200	2400	21443.00
10	श्री अरूणचन्द कोटनाला	लेखाकार	9300–34800	4200	37370.00
11	श्री रामेश्वरसिंह पंवार	लेखाकार	9300–34800	4200	33584.00
12	श्री शेखरचन्द रौतेला	लेखाकार	9300–34800	4200	27150.00
13	श्री खीमसिंह नेगी	लेखाकार	9300–34800	4200	30778.00
14	श्री गोपालनाथ गोस्वामी	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	31085.00
15	श्री पूरणचन्द पुरोहित	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	31085.00
16	श्री बैसूलाल कोहली	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	27695.00
17	श्री राजेन्द्रसिंह बिष्ट	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	30069.00
18	श्री गौतम लाल मुयाल	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	4200	280468
19	श्री विजय राज भट्ट	सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	2800	25878.00
20	श्री प्रवीन कुमार नैथानी	सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	2800	27594.00
21	श्री राजेश बेलवाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	2800	24155.00
22	श्री राजेन्द्रसिंह रावत	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	1900	14370.00
23	श्री पंकज भण्डारी	चालक	9300–34800	4200	31811
24	श्री अन्ती लाल	चालक	5200–20200	2400	17778
25	श्री संजय कुमार	चालक	5200–20200	1900	17517
26	श्री संजय मलिक	चालक	5200–20200	1900	17517
27	श्री जबरसिंह	अनुसेवक	5200–20200	1900	19534

28	श्री जयवीरसिंह	अनुसेवक	5200—20200	1900	19534
29	श्री सूरज पालसिंह	अनुसेवक	5200—20200	1800	16693
30	श्री रमेशसिंह	अनुसेवक	5200—20200	1900	18129
31	श्री केशरसिंह	अनुसेवक	5200—20200	1800	
32	श्री भगवती प्रसाद उनियाल	अनुसेवक	5200—20200	1800	17082
33	श्री दिनेश चन्द	अनुसेवक	5200—20200	1800	16798

(ब) कृषि गणना/सांख्यिकीय अनुभाग

क्र0 सं0 क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम पद नाम	वेतनमान वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धि
1	श्री अजयकुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	15600—39100	7600	वेतन कृषि निदेशालय से आहरित होता है
2	श्री बच्चनसिंह नेगी	सहायक निदेशक	15600—39100	6600	58736.00
3	श्री भरतसिंह भण्डारी	क0सं0 अधिकारी	9300—34800	4600	41415.00
4	श्री हिमान्शु कुमार	कनिष्ठ लिपिक	5200—20200	1900	18811.00
5	श्री अरविन्द कुमार पंत	कनिष्ठ लिपिक	5200—20200	2000	20692.00
6	श्री अजय कुमार	अनुसेवक	5200—20200	2400	21510.00
7	श्री यादवचन्द तिवाड़ी	संख्या सहायक	15600—39100	5400	53084.00